प्रौढ़ शिक्षा

अक्टूबर–दिसम्बर 2016
वर्ष 60 अंक–4

सम्पादक मण्डल

प्रो. भवानीशंकर गर्ग
(सरंक्षक)

श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
डा. सरोज गर्ग
श्री दुर्लभ चेतिया
डा. डी.के.वर्मा
डा. उषा राय
डा. मदन सिंह
श्री एस.सी. खंडेलवाल
श्री राजेन्द्र जोशी

सम्पादक
डा. मदन सिंह

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय

गांधी दर्शन और वैश्विक शान्ति
–अमित कुमार वर्मा 5

विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
–सुभाष सी खुंटिया 12

महिला सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका
–विकास मोदी 18

जरूरत जेंडर बजट की
–विकास नारायण राय 22

कौशल विकास एवं आजीवन शिक्षा
–कृष्ण कुमार आहूजा 26

सामाजिक नवरचना और सामाजिक समरसता
–मो. हामिद अंसारी 32

समझौता
– रंजना जायसवाल 38

प्रौढ़ शिक्षा का महत्व
–बद्री प्रसाद वर्मा अनजान 43

हमारे लेखक 44

मूल्यः रूपये 200/–वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं, जिनके लिए संघ एवं सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है ।

Census 2011 - Database for Literacy Programmes

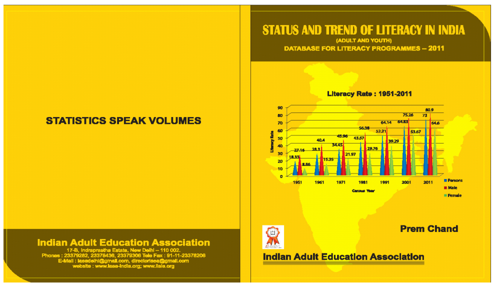

Indian Adult Education Association has brought out recently a book titled **Status and Trend of Literacy in India (Adult and Youth) Database for Literacy Programmes – 2011**. This book has 200 pages with 8 chapters and 17 tables. Annexure also gives district-wise information regarding literates, illiterates and literacy rates by sex and rural/urban areas for the age group 7 and above and illiterates, literates and literacy rates by sex and areas for adolescent (10-19) and youth (15-24) population – 2011.

The price of the book is Rs.800/- (US $ 90) per copy. Purchase order can be made by mail (directoriaea@gmail.com) indicating number of copies required and Demand Draft for total amount sent by post. The Demand Draft be drawn in favour of "Indian Adult Education Association" payable at New Delhi.

शोध पर सवाल

25 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) की 64वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान के शिक्षा मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी द्वारा 'अनुतीर्ण न करने के प्रावधान (नो डिटेंशन पॉलिसी)' की स्थिति पर कैब की उपसमिति की रिपोर्ट पेश की गई तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं नो डिटेंशन पॉलिसी के विशेष उद्धरण के साथ शिक्षा के अधिकार पर चर्चा की गई। यह तय किया गया कि पांचवीं कक्षा से लेकर आठवीं तक अनुत्तीर्ण न करने की नीति को हटा लिया जाएगा। यह निर्णय वर्ष 2018 से प्रभावी होगा। चूंकि, नो डिटेंशन पॉलिसी शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत लागू किया गया था जो अब मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अतः इस प्रावधान को हटाने के लिए अधिनियम को संशोधित करना होगा, जिसका अधिकार संसद को है। इसलिए सरकार संसद में उपयुक्त संशोधन प्रस्ताव पेश करेगी।

विदित है कि प्राथमिक एवं बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमिकरण में ड्रापआउट की समस्या को कम करने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र–छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति को बढ़ाने तथा शिक्षा को मानसिक दबाव की जगह आनन्द का विषय बनाने के उद्देश्य से शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत यह प्रावधान रखा गया था कि छात्र पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक फेल–पास के मानसिक दबाव के बिना लगातार आगे बढते रहें। अधिनियम में यह प्रावधान अचानक ही नहीं शामिल किया गया था। इसके पहले अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए शोध अध्ययनों से यह तथ्य उभरकर सामने आया था कि नो डिटेंशन पॉलिसी ड्रापआउट कम करने का एक महत्वपूर्ण एवं कारगर उपाय साबित हो सकता है, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र–छात्राओं के लिए। यह कयास लगाया गया था कि इन वर्गों के छात्र फेल–पास के मानसिक दबाव के बिना लगातार आगे बढते हुए आठवीं तक की बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे जिससे बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई जा सकेगी। इस दौरान शैक्षिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सतत् एवं विस्तृत मूल्यांकन (कंटिनूअस कंप्रिहेंसिव इवैलूएशन–सीसीई) का प्रावधान रखा गया था ताकि छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि छः – छः माह की अंतराल पर होने वाली दो परीक्षाओं के बजाय एक क्रमिक एव विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से आंकी जाए।

तदनन्तर प्रकाशित होने वाले सरकारी आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी सहित मध्याह्न भोजन, आवास से लगभग एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक

विद्यालय उपलब्ध कराए जाने, विद्यालयों में छात्र – छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालयों की व्यवस्था करने तथा मुफ्त में पाठ्यपुस्तकें एवं यूनिफार्म आदि प्रदान किए जाने के कारण ड्रॅापआउट में कमी आई तथा विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ी है। लेकिन जब बात शैक्षिक गुणवत्ता की आती है तो हमारे समक्ष एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा दिखता है। प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थान 'प्रथम' द्वारा प्रकाशित 'असर' रिपोर्ट सहित कई शोधार्थियों द्वारा किये गये स्वतंत्र अध्ययन कहते हैं कि कई अवसरों पर यह पाया गया कि आठवीं कक्षा के छात्र कक्षा दूसरी के पाठ्य पुस्तक को भी सहजता से नहीं पढ़ पाते। स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर हमारी शैक्षिक गुणवत्ता अत्यंत ही लचर है। आखिर कारण क्या है?

ज्ञात है कि यूनेस्को के द्वारा जनरल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनालिसिस फ्रेमवर्क – जी.ई.क्यू.ए.एफ. के तहत प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता की स्तर जांचने के लिए विश्व के कई देशों में अध्ययन कराया गया। भारत में यह अध्ययन भारत सरकार द्वारा चयनित यूनेस्को के नोडल एजेंसी एन.सी.ई.आर.टी. ने किया। एन.सी.ई.आर.टी. ने जुलाई 2012 में मेघालय तथा सितम्बर 2012 में मध्य प्रदेश में दो पायलट अध्ययन किए। इन्टरनेशनल जरनल ऑफ सोशल साइंस एण्ड ह्यूमैनिटीज में प्रकाशित एक शोध अध्ययन के अनुसार मध्य प्रदेश में आयोजित पायलट अध्ययन के दौरान 100 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि हम बच्चों के कक्षा में उपस्थिति तथा उनकी पढ़ाई के बारे में कतई चिन्ता नहीं करते, क्योंकि पास तो उन्हें होना ही है। स्पष्ट है कि नो डिटेंशन पॉलिसी लागू किये जाने के कारण छात्र तो छात्र, अभिवावक और शिक्षकों सहित सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था ही शैक्षिक गुणवत्ता के प्रति निष्क्रिय हो गई और यह सब लगभग एक दशक से भी कम समय के अंतराल में ही हो गया। अब हम नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाने के मुहाने पर खड़े हैं। प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या और विविधता भरी देश के भविष्य से जुड़े इतने महत्वपूर्ण बिन्दु पर निर्णय लेने के हमारे आधार (शोध अध्ययन) इतने तात्कालिक, अदूरदर्शी एवं संकीर्ण क्यों हैं? प्रश्न उन महानुभावों की दूरदर्शिता, निष्ठा एवं प्रबंधन तथा क्रियान्वयन क्षमता पर भी खड़ा होता है जो इस तरह के निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते रहे हैं। एक बार का राष्ट्रीय लक्ष्य बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाना चाहे उस शिक्षा का स्तर कुछ भी क्यों ना हो तथा उसके बाद का नवीन राष्ट्रीय लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना भारत जैसे विकासशील देश के लिए निश्चित ही महंगा सौदा साबित हो रहा है। यह अपेक्षा की जा सकती थी कि जनता की गाढ़ी कमाई के इतने बड़े हिस्से का उपयोग शिक्षा में नामांकन एवं शिक्षा की गुणवत्ता दोनों को साथ–साथ बढ़ाने में की जाए। आज नहीं तो कल की पीढ़ी यह सवाल अवश्य ही पूछेगी।

–बी संजय

गांधी–दर्शन और वैश्विक शान्ति

– अमित कुमार वर्मा

''हर तरफ धुंध सा 'अशान्ति' का साया छाया हुआ,
खौफ इतना कि हर कोई 'दहशत' से घबराया हुआ।
'आतंकवाद व हिंसा' के मंज़र हैं कुछ यूँ बढ़े,
प्रतिपल, पग–पग मानो 'मौत के राक्षस' हों खड़े।।''

वर्तमान परिवेश को बयां करती उपर्युक्त पंक्तियां विश्वभर में एक ज्ञान आधारित, बौद्धिक एवं वैज्ञानिक समाज विकसित करने तथा वैश्विक पटल पर सम्पूर्ण विश्व में शान्ति स्थापना की आवश्यकता की ओर ध्यानाकृष्ट करती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उन्नत युग में हमने निःसंदेह नित–नूतन आयाम स्थापित किए हैं, परन्तु इन्हीं के मद्देनजर हमने अशान्ति व कलह की, हिंसा व आंतकवाद की तथा मानवता विरोधी अनेकानेक विषैली बेलों को भी जन्म दे दिया है। चारों ओर उहा–पोह मची हुई है। लोग किसी भी क्षण, कही भी किसी भयानक अनहोनी के हो जाने की आशंका लिए जीने को विवश हैं। आखिर ऐसा क्यों है ? वैश्विक हालातों के गहन विश्लेषण से ध्यान आता है कि मानवता के अमर पुजारी, वैश्विक शान्ति के अग्रदूत और सम्पूर्ण जनमानस के हितैशी महामानव 'महात्मा गांधी' के दर्शन और विचारों की अवहेलना ही आधुनिक (तथाकथित) समाज को त्रासदी व संहार की ओर ले जा रही है। गांधीजी के विचार व्यवहारिकता की कसौटी पर खरे उतरने वाले वे अमोघ शस्त्र हैं, जिनका सामना अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र व हथियार कदापि नहीं कर पाएंगे। सत्य व अहिंसा के उनके अन्यान्य व्यवहारिक प्रयोग विश्व शान्ति की दिशा में सदा 'मील के पत्थर' बनकर उभरते रहेंगे।

आज एक ओर तो विज्ञान व तकनीकी के माध्यम से वैश्विक प्रगति के साथ–साथ शान्ति व विश्व–कल्याण का कोरा दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अतिशय हिंसा व आतंकवाद के कारण मानवता के अस्तित्व पर संकट के बादल भी मंडराते दिख रहे हैं। भौतिक विकास की गगनचुम्बी ऊंचाईयां छूकर जहां विकसित देश शक्ति–सम्पन्न होने का प्रपंच कर रहे हैं, वहीं विकासशील देश उनके अनुकरण को लालायित हैं या फिर उनके द्वारा ही शोषित किये जा रहे हैं। दो विश्व युद्धों के बाद तृतीय विश्व युद्ध की चिंता सभी को सताए जा रही है। संक्षिप्त में यदि कहा जाए, तो हर ओर अशान्ति ही अशान्ति व्याप्त है। यदि

घर–परिवार से प्रारम्भ कर देश, समाज व सकल विश्व को लें, तो पाएंगे कि 'शान्ति' का संसार तार–तार/क्षत–विक्षत ही नजर आता है। सच कहा जाए, तो ऐसे विषम दौर में गांधी दर्शन ही संजीवनी सा अक्षुण्ण एवं विश्व शान्ति के लिए अमोघ अस्त्र है। गांधी दर्शन में प्रतिपादित सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सरल जीवन, ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास, सह–अस्तित्व, साधन–शुचिता, समानता, भ्रातृत्व, नैतिकता, विश्व–बंधुत्व, आस्था, युद्धों से अलगाव (विरक्ति), रहन–सहन, स्वावलम्बन, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग (स्वदेश प्रेम), नई तालीम (बुनियादी शिक्षा), सर्वोदय व भूदान की महत्ता, सर्व–धर्म समभाव व जनसंख्या वृद्धि से बचाव के साधन/उपाय, विज्ञान–तकनीकी व मानवता का सामंजस्य तथा रामराज्य की परिकल्पना सरीखे अनेक ऐसे मूलभूत तत्व हैं, जिनको शिरोधार्य कर हम–सभी आज भी वैश्विक स्तर पर 'शान्ति' की पुनः स्थापना कर सकते हैं। एक–एक तत्व (जो ऊपर उल्लिखित है), का पालन करके जन सामान्य, विश्व शान्ति की दिशा में कदमताल कर सकते हैं।

शान्ति की राह में रोड़े बनकर सम्मुख आती पूंजी आधारित वैश्विक शक्तियों के बारे में महाकवि 'दिनकर' की निम्न पंक्तियां द्रष्टव्य हैं–

''वे देश शान्ति के सबसे शत्रु प्रबल हैं,
जो बहुत बड़े होने पर भी दुर्बल हैं।''

यूं तो विश्व शान्ति की राह में अनगिनत बाधाएं हैं, परन्तु उन सभी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हल गांधी दर्शन के अक्षुण्ण सागर में समाहित है। आज समूचे संसार में शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा जो विज्ञान व तकनीकी के विध्वंसात्मक प्रभाव से अछूता हो। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि विज्ञान व तकनीकी को इसी प्रकार से लगातार विध्वंसात्मक कार्यों में लगाया जाता रहा, तो निकट भविष्य में पृथ्वी 'मानव–शून्य' भी बन सकती है। यांत्रिक प्रणाली के अत्यधिक विकास के कारण शक्तियों का केन्द्रीकरण कतिपय चुनिन्दा लोगों के हाथों तक ही सीमित रह गया है। जिसके कारण पनपी वर्ग विषमता, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक विषमता आदि आज विश्व शान्ति की दिशा में बाधा पहुंचाने में अत्यंत कारगर भूमिका निभा रही हैं। नैतिक व मानवीय मूल्यों की होलियां जलायी जा रही हैं। हद तो यह है कि शिक्षा पद्धति भी वैशम्य व दोषों से मुक्त नहीं रही है। गरीबी, भुखमरी, कलह व आतंकवाद सर्वव्यापी वैश्विक चुनौतियां बनकर उभरी हैं। ईश्वर व आध्यात्मिक आस्था से परे होकर हम सब स्वार्थ, छल–कपट, द्वेष व घृणायुक्त जीवन जी रहे हैं। उपनिवेशवादी कारण, मनोवैज्ञानिक कारण (तनाव, ईर्ष्या, क्रोध, भय, हीन–भावना आदि) तथा आर्थिक व सामाजिक शोषण आदि विश्व शान्ति को कुप्रभावित कर रहे हैं। गांधीजी का मानना था कि आन्तरिक तनाव ही अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय तनावों को जन्म देते हैं। अतः इसको समाप्त करना अत्यावश्यक है, इस हेतु उन्होंने कतिपय प्रयोग भी सुझाये थे जैसे–

उत्पादन का विकेन्द्रीकरण व क्षेत्रीय आत्म–निर्भरता, सर्व–धर्म समभाव की भावना, उच्च–निम्न में भेद न करना, जीवन के प्रत्येक स्तर पर नैतिकता का पालन, भौतिक जीवन में विलासिता के स्तर को दूर अथवा कम करना, प्रतिकार/प्रतिशोध व आक्रमण की भावना का सर्वथा अंत तथा शान्ति व सुरक्षा हेतु न्यूनतम पशु–बल का प्रयोग आदि। वे जनसंख्या वृद्धि के लिए ब्रह्मचर्य पालन तथा शोषणहीन समाज हेतु सर्वोदय सिद्धान्त को भी उपयोगी मानते थे, जो विश्व–शान्ति की दिशा में अप्रत्यक्षतः प्रभावी हथियार हैं।

अपने जीवन के एक मोड़ पर गांधी जी लिखते हैं – ''विगत 30 वर्षों के कोरे जीवन का अनुभव मुझे यह महती आशा प्रदान करता है कि न केवल भारत, अपितु सारे जगत का कल्याण और भविष्य अहिंसा के अवलम्बन में ही सुरक्षित है। अहिंसात्मक पद्धति जिस प्रकार निर्दोष है, उसी प्रकार संसार के शोषित और दलित समाज की समस्त राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं को हल करने हेतु अति प्रभावकारी अमोघास्त्र भी है।'' वे पूंजीवाद व साम्राज्यवाद को मुख्यतः युद्ध का कारण बताते थे और कहते थे कि इन दोनों की इमारतें, 'हिंसा' के धरातल पर खड़ी हुई हैं। अतः विश्व शान्ति के दुश्मन–'युद्ध' को यदि समाप्त करना है, तो सर्वप्रथम उन हिंसात्मक प्रणालियों का अंत करना होगा, जो युद्ध को जन्म देती हैं। इसके साथ ही साथ गांधी दर्शन कर्तव्य व अधिकार में विषमता ना लाकर उनके सम्यक् होने की वकालत करता है। नई तालीम में उन्होंने हस्तशिल्प आधारित, स्वावलम्बी, रोजगारपरक, स्वदेशी, सेवाभाव व नैतिकतापूर्ण, कर्तव्यबोध वाली शिक्षा पर जोर दिया है, जिससे सुन्दर, कल्याणकारी व शान्ति आधारित समाज की रचना हो सके। वे समाज, राष्ट्र व विश्व से विरत शान्ति या सुधार की कामना कभी नहीं करते थे। वे कहते थे–

''मनुष्य की शान्ति की परख समाज में ही हो सकती है, हिमालय की चोटी पर नहीं।''

युद्धों के बारे में उनका मानना था कि युद्ध बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारी ही आंतरिक हिंसा वृत्ति के फलस्वरूप होते हैं। हमारे ही भीतर महती घृणा और अन्याय की वृत्ति राष्ट्रीय रूप धारण कर युद्ध को जन्म देती है। इसीलिए जब तक प्रत्येक व्यक्ति स्वयं आत्म–नियंत्रण करना नहीं सीखता, तब तक युद्ध का अंत नहीं हो सकता और ऐसे में भला विश्व–शान्ति भी कहां से आएगी ? उनके अनुसार सुधार का कार्य ऊपर से नहीं, बल्कि नीचे से ही शुरू होना चाहिए।

गांधीजी आर्थिक असमानता को भी शान्ति स्थापना में महत्वपूर्ण विरोधी घटक मानते थे और 'मार्क्स' के विचारों के समरूप 'हर एक को उसकी जरूरत के अनुसार' दिए जाने के पक्षधर थे। विकेन्द्रीकरण शैली के प्रतिनिधिस्वरूप उन्होंने चरखे का प्रयोग करते हुए कहा था– ''चरखा न तो कारखानों की प्रतिद्वन्दिता कर सकता है और न ही उनका स्थान ले सकता है, किन्तु शोषण की प्रवृत्ति को रोकने में वह अवश्य ही सहायक हो सकता है।'' जब

शोषण (चाहें उसका रूप कैसा भी क्यों न हो) रूकता है, तो वैचारिक स्थिरता व संतोष की वृत्ति आती है और यही शान्ति के सृजक बनते हैं। आज जिसे हम वैज्ञानिक व विकसित तथा सभ्य व उन्नत जीवन की श्रेणी में मानते हैं, वे ही भय, आक्रोश व विनाश का कारण बन रहे हैं। हमारा रहन–सहन, विचार व संस्कृति सभी बदरंग हो रहे हैं। भोग–विलास व अत्याधुनिक बनने की कवायद में हम अपनी परम्पराओं व संस्कारों (संस्कृति) को पैरों तले कुचल अशान्ति रूपी विकास की मृग–मरीचिका की ओर अनवरत अग्रसर हैं। नैतिकता व 'सादा जीवन–उच्च विचार' को गांधीजी शान्ति स्थापना हेतु महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके साथ ही साथ वे 'आत्म–शुद्धि' को भी अत्यधिक उपयोगी बताते हैं। एक जापानी पर्यटक दल द्वारा भेंट किए गए तीन बंदरों की प्रतिकृतियों के आधार पर जहां उन्होंने 'बुरा न देखने, बुरा न सुनने व बुरा न कहने' को आत्म–शुद्धि का साधन बताया, वहीं उनके दर्शन के एकादश व्रत–सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, शारीरिक श्रम, सर्व–धर्म समभाव तथा स्वदेशी, हमारे सम्पूर्ण जीवन–तंत्र को दुरूस्त कर शान्ति की पहल करते हैं। उनका दर्शन बाल गंगाधर तिलक की 'गीता रहस्य' से, टॉलस्टॉय की 'द किंग्डम आफ गॉड इज विदिन यू (बैकुण्ठ तुम्हारे हृदय में है)', गीता के 'कर्मयोग' और भगवान श्रीराम तथा श्रीकृष्ण के विचारों से प्रेरित है। उन्होंने षट्रिपुओं – काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद व मत्सर से विलग रहकर शान्तिपूर्ण व कल्याणकारी जीवन जीने की चेष्टा की थी। गांधीजी ने 'ईशावास्थोपनिषद्' के प्रारम्भिक श्लोक 'तेन त्यक्तेन भुंजीथा' को आधार मानकर समदर्शी रामराज्य की परिकल्पना की थी। वे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की धारणा के प्रबल पक्षधर थे और मानव मात्र से प्रेम करने की शिक्षा देते थे, जो सदा शान्ति की ओर ही ले जाती है। 'राम–धुन' गांधी दर्शन का मूलमंत्र कही जा सकती है। 'रघुपति राघव राजा राम' सरीखी मंगलकारी धुन और 'वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीर पराई जाणे रे' जैसे भजन उनकी शान्तिप्रिय विश्व की कामना की झलक पाने हेतु पर्याप्त हैं। विज्ञान तथा तकनीकी के अत्याधुनिक समय में एकांगी व जन कल्याण से परे अशान्तिपूर्ण विकास के बारे में चिन्तित होकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टीन ने मानवता के प्रबल पुजारी–गांधीजी के बारे में सच ही कहा था–''आगे आने वाली पीढ़ी शायद ही यह विश्वास कर सके कि हाड़–मांस का बना ऐसा महामानव भी कभी इस धरती पर रहा होगा।''

गांधी जी की दृष्टि और विचारों में व्यक्त अविश्वास का प्रतिफल हैं – अशान्ति और हिंसा की आधुनिक समय में जलती–जलाती ढेरों चिनगारियां, चाहें वे हिरोशिमा, नागासाकी के परमाणु विस्फोट के तौर पर हों या फिर विभिन्न देशों में हो रही आंतकवाद की ढेरों घटनाओं के तौर पर – सब की सब हिंसा व अशान्ति की ही द्योतक हैं।

समाज के हर तबके को अपने साथ लेकर चलने की गांधीजी की कवायद, निःसंदेह काबिल–ए–तारीफ है। उनके द्वारा वैश्विक शान्ति स्थापनार्थ दलितों, शोषितों–पीड़ितों व समाज के निम्न से निम्न वर्ग हेतु किए गए कार्य औरों हेतु एक मिसाल हैं। दुनियां को एकता

व अहिंसा के दृढ़ सूत्र में बांधने वाला, विश्व चेतना के कल्याणार्थ शायद ही कोई दूसरा दर्शन हो, जिसने छुआछूत, रंग–भेद, नस्ल–भेद व जाति–धर्म की खोखली दीवारों पर उचित प्रहार किया और मानव मात्र से (ईश्वर का प्रतिनिधि समझकर) सच्चा प्रेम बर्ताव करना सिखलाया। जातिगत कुटिलताओं पर कुठाराघात करते हुए गांधी जी ने कहा था– ''जिस आदमी की त्याग की भावना अपनी जाति से आगे नहीं बढ़ती, वह स्वयं स्वार्थी है और अपनी जाति को भी स्वार्थी बनाता है।''

गांधीजी के दर्शन की प्रबलतम इच्छा इस बात में निहित है कि– ''हर आंख का हर आंसू पोंछा जा सके।' वे अपने दार्शनिक किन्तु व्यवहारिक सिद्धान्तों के द्वारा सद्भाव व समतामूलक अहिंसक समाज की रचना करना चाहते थे। अपनी रामराज्य की संकल्पना में वे सभी के विकास, कल्याण व हित का जिक्र करते हुए दया, प्रेम, करूणा, अहिंसा व सत्य के आचरण की पुकार करते हैं। वे कहा करते थे – ''संसार के विरूद्ध खड़े होने की शक्ति प्राप्त करने के लिए मगरूर या तुच्छ बनने की आवश्यकता नहीं। गरीबी या कमजोरी को मजबूरी न बनायें, बल्कि साहस के साथ अहिंसा के हथियार द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना सीखें।'' अर्थात् वह और उनका दर्शन मानवता को समर्पित अनेक ऐसे प्रसंग सम्मुख लाता है, जो वैश्विक शान्ति के लिए दृढ़ स्तम्भ हैं। स्वदेशी व राष्ट्रप्रेम (खादी का प्रयोग), पर्दा–प्रथा, बहु–विवाह, नशाखोरी, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, स्वराज की अनोखी दास्तां आदि प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ध्येय बनाया था – ''सब काम हम इसलिए कर रहे हैं कि जो भारत के गरीब हैं, भारत के मध्यम वर्ग हैं, उनके कष्ट कुछ कम हों। हमें जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे हम उनकी मदद कर सकें।''

गांधीजी कहा करते थे कि यदि एक मनुष्य की उन्नति होती है, तो उसके साथ पूरे संसार की उन्नति होती है। इसके साथ ही साथ यदि एक व्यक्ति का पतन होता है तो वह भी सारे संसार का पतन है। अतः अपने–आपको कमजोरी व भय से ग्रस्त न होने दें। सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हुए सभी को गले लगाकर शान्तिपूर्ण ढंग से विकास करने में ही हमारी बुद्धिमानी होगी।

गांधीजी हिंसा को केवल मार–काट, शारीरिक हानि तक ही सीमित नहीं मानते थे। उनके अनुसार दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना, दूसरों के प्रति बुरा सोचना, अच्छा आचरण न करना व परस्पर सहयोग की भावना न रखना भी हिंसा के विभिन्न रूप ही हैं। वर्तमान समय में हिंसा के इन्हीं रूपों से मुख्यतः व्यापक स्तर पर अशान्ति जन्म ले रही है। शान्ति को मानसिक तनावों व अवसादों पर विजय का प्रतिफल माना जाता है एवं वैयक्तिक अनुभूति और मानसिक संतोष की स्थिति भी। आध्यात्मिक साधना को शान्ति का पर्याय बताया गया है। यूनिसेफ ने शान्ति की संस्कृति हेतु निम्नलिखित घटकों को महत्वपूर्ण बताया है–

1. सभी के बीच विश्वास का वातावरण उत्पन्न करना।
2. सभी हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना।
3. पारस्परिक समझदारी विकसित करना।
4. सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु लोगों के बीच एक खुला वातावरण विकसित करना।
5. लोगों में सहनशीलता की भावना विकसित करना।
6. विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान की भावना का विकास।
7. विभिन्न धर्मों, जातियों संस्कृतियों व जीवनशैली में सामंजस्य स्थापित करना।

इस प्रकार सम्पूर्ण विवेचन पर यदि हम समेकित नजर डालें, तो हम निश्चय ही पाएंगे कि गांधीजी व उनका सम्पूर्ण दर्शन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व मानवीय आधार पर न सिर्फ विश्व–शान्ति की लोर ले जाता है, वरन् मनोवैज्ञानिक तौर पर, व्यक्तिगत, देशगत और वैश्विक स्तर पर स्वयं में शान्ति स्थापना की पहल व सुदृढ़ता हेतु अमूल्य निधि संजोये हुए है, जिनका हम छोटे–छोटे स्तर पर प्रयोग कर व व्यवहार में आत्मसात कर विश्व–शान्ति को स्थापित करने के प्रयास में सकारात्मक भागीदारी निभा सकते हैं। प्रेम, मुस्कान व मानवता की सर्वत्र समझी जाने वाली व्यवहारिक भाषा का गांधीजी ने न सिर्फ बिगुल बजाया, बल्कि अपने कार्य–व्यवहार में, अपने दर्शन को समाहित कर देश, समाज व विश्व को एक अद्वितीय संदेश दिया– ''मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।'' गांधीजी के अमर सिद्धान्तों व महान व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर ही पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उनकी मृत्यु के समय कहा था – ''प्रकाश बुझा नहीं, क्योंकि वह तो हजारों–लाखों व्यक्तियों के हृदय को प्रकाशित कर चुका था।''

इस प्रकार विश्व शान्ति के सन्दर्भ में गांधी दर्शन की महती भूमिका है। उनके दार्शनिक सिद्धान्त व्यवहारिकता के धरातल पर स्वर्ण सरीखे, विश्व शान्ति के द्योतक हैं। जरूरत है तो सिर्फ उनके दर्शन द्वारा सुझाये गए मार्गों पर आगे बढ़ने की, उनके सिद्धान्तों, विचारों और चिन्तन को हृदयंगम कर कार्य रूप प्रदान करने की, ताकि आज के तथाकथित अत्याधुनिक समय में भी विश्व–शान्ति पर छाए हुए घनघोर बादल समय रहते छंट सकें और बारूद के ढेर पर टिकी इस दुनियां से मानवीय संहार व विनाशपूर्ण त्रासदियों की दास्तां सदा के लिए मुंह फेर सके। यकीनन तब ही रामराज्य होगा और वह 'वैश्विक–शान्ति' भी, जो 'गांधी–दर्शन' की मूल थाती रही है।

''कतरा–कतरा गांधी–दर्शन का, विश्व शान्ति का परिचायक हो।
हर कोई अपनाए इसको, हर कोई इसका गायक हो।।
आंतक व हिंसा के किस्सों से निश्चय ही तब राहत होगी।
सच में, सबके दिलों में तभी 'शान्ति' की चाहत होगी।।

आज भी गांधी–दर्शन समीचीन है, भारत ही नहीं मानते इसे देश कई नामचीन हैं। 'विश्व–शान्ति' के द्योतक इस दर्शन से परे, सोचें–आप कहां तल्लीन हैं?''

हमने वर्षों तक अपने शैक्षणिक प्रयासों को छोटे–छोटे केंद्रों के रूप में विघटित करने की नीतियों का अनुसरण किया है। हमने इस बात की उपेक्षा की है कि नवीन ज्ञान और नई अन्तर्दृष्टि का उद्भव प्रायः विषयों की परिधि में हुआ है। विषयों के अध्ययन को अपारदर्शी दीवारों में कैद करना हमारी प्रवृति रही है। इसने हमारे कल्पना की उड़ान को बाधित कर दिया है और हमारी सृजनात्मकता को सीमित कर दिया है। हमारी शिक्षा के इस स्वरुप ने हमारे किशोरों को विद्यालय के दिनों में ही अवरूद्ध और बाधित कर दिया है और यही प्रवृति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के स्तर तक चलती रहती है। हमारी शिक्षा के अधिकांश माध्यम, नया ज्ञान सृजित करने की मानव मस्तिष्क की क्षमता को हानि पंहुचाते हैं। हमने सूचना प्रदान करने पर जोर दिया है और सूचना भंडारण की क्षमता को हानि पहुचाते हैं। हमने सूचना प्रदान करने पर जोर दिया है और सूचना भंडारण की क्षमता को पुरस्कृत किया है। यह ज्ञानपरक समाज का निर्माण करने में सहायक नहीं है। विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसा करना एक घटिया कार्य है क्योंकि एक अच्छे विश्वविद्यालय की एक आवश्यक विशेषता यह है कि उसे न केवल विद्यार्थी बल्कि समग्र समाज के लिए भी ज्ञान का सृजन करने के कार्य से जुड़ना चाहिए।

– यशपाल समिति

विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

– सुभाष सी खुंटिया

21वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे वातावरण में उन्नति कर सकती है जो रचनात्मकता एवं काल्पनिकता, विवेचनात्मक सोच और समस्या के समाधान से संबंधित कौशल पर आधारित हो। अनुभवमूलक विश्लेषण, शिक्षा और आर्थिक उन्नति के मध्य सुदृढ़ सकारात्मक संबंध होते हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 से 18 वर्ष आयु के स्कूल जाने वालों की 30.5 करोड़ की विशाल जनसंख्या है, जो देश की कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत से अधिक है। यदि बच्चों को वास्तविक दुनियां का आत्मविश्वास से सामना करने की शिक्षा दी जाए तो भारत में इस जनसांख्यिकीय हिस्से की संपूर्ण सामर्थ्य का अपने लिए उपयोग करने की क्षमता है।

संधारणीय विकास लक्ष्य 2030 को अंगीकार करने के बाद ध्यान माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक 'गुणतत्ता के साथ निष्पक्षता' पर स्थानांतरित हो गया है।

कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में अपने एक उद्‌बोधन में गुणवत्ता के महत्व पर इन शब्दों में जोर दिया थाः ''अब तक सरकार का ध्यान देश भर में शिक्षा के प्रसार पर था किंतु अब वक्त आ गया है कि ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए। अब सरकार को स्कूलिंग की बजाय ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए।''

मानव संसाधान विकास मंत्री श्री प्रकाश जाव़डेकर ने भी घोषणा की थी कि ''देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होगी''। स्कूलिंग की बजाय ज्ञानार्जन पर ध्यान स्थाांतरित करने का अर्थ इनपुट से नतीजों पर ध्यान देना होगा।

राज्य सरकारों की साझेदारी के साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित सर्व शिक्षा अभियान ने आरम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने में यथेष्ट सफलता पाई है। आज देश के 14.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों में 19.67 करोड़ बच्चे दाखिल हैं। स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़ कर जाने की दर में यथेष्ट कमी आई है, किंतु यह अब भी प्राथमिक स्तर पर 16 प्रतिशत एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 32 प्रतिशत बनी हुई है, जिसमें उल्लेखनीय कमी करना आवश्यक है। एक सर्वेक्षण के अनुसार विद्यालयों से बाहर बच्चों की संख्या वर्ष 2005 में 135 लाख से घटकर वर्ष 2014 में 61 लाख हो गई, अंतिम बच्चे की भी विद्यालय में वापसी सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए।

जैसा कि स्पष्ट है कि भारत ने स्कूलिंग में निष्पक्षता एवं अभिगम्यता सुनिश्चित करने के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि एक औसत छात्र में ज्ञान का स्तर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) की पांचवी कक्षा के छात्रों की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ पाने की समझ से जुड़े प्रश्नों के आधे से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दे पाने वाले छात्रों का प्रतिशत केवल 36 प्रतिशत था एवं इस संबंध में गणित एंव पर्यावरण अध्ययन का आंकड़ा क्रमशः 37 प्रतिशत एवं 46 प्रतिशत है।

विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें नवीन व्यापक दृष्टिकोणों एवं रणनीतियों को बना रहे हैं। कुछ विशेष कार्यक्षेत्रों की बात करें तो अध्यापकों, कक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली कार्यविधियों, छात्रों में ज्ञान के मूल्यांकन एवं निर्धारण, विद्यालयी अवसंरचना, विद्यालयी प्रभावशीलता एवं सामाजिक सहभागिता से संबंधित मुद्दों पर कार्य किया जाना है।

अध्यापक

जहां बच्चे विद्यालयी शिक्षा का केंद्र होते हैं, बच्चों में ज्ञानार्जन सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक अध्यापक की होती है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत के साथ ही आरम्भिक कक्षाओं में अध्यापकों के 19.48 लाख पदों का सृजन किया गया। इन पदों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति से छात्र–शिक्षक अनुपात में 42:1 से 24:1 का सुधार हुआ है। यद्यपि अब भी ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अध्यापक केवल एक हो या उनकी संख्या अपर्याप्त हो। इसके लिए राज्य सरकारों को अध्यापकों के एक समान वितरण के लिए नियोजन करने की आवश्यकता है एवं सेवानिवृत होने वाले अध्यापकों के स्थान पर दक्ष अध्यापकों की नियुक्ति के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम रखा जाना चाहिए।

वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में नियमित अध्यापकों में से 85 प्रतिशत व्यावसायिक रूप से योग्यता संपन्न हैं। 20 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सभी अध्यापकों के पास अपेक्षित योग्यता है। सरकार आगामी 2 – 3 वर्षों तक शेष 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अध्यापकों का पूर्णतया दक्ष होना सुनिश्चित करने के लिए तमाम कदम उठा रही है।

मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में करवाए गए एक अध्ययन के परिणामों के अनुसार, अध्यापकों की औसत उपस्थिति लगभग 83 प्रतिशत थी। इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक लाने की आवश्यता है।

सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजानओं, दोनों में अध्यापकों

के जरूरत आधारित व्यावसायिक विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन प्रयासों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों की योजना भी है।

ज़रूरत है कि विद्यालयी तंत्र प्रतिभाशाली युवाओं को अध्यापन के क्षेत्र में लाए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् ने चार वर्षीय समेकित बीए–बीएड एवं बीएससी–बीएड कार्यक्रमों की शुरूआत की है एवं श्रेष्ठ विद्यालयी तंत्र के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में ईमानदारी से रूचि रखने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है।

कक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली कार्यविधियां

बच्चों में ज्ञान की समझ विकसित करने, कक्षा कक्ष प्रबंधन, प्रभावी छात्र शिक्षक संवाद, एवं निर्देशों की उत्तमता; संरचित अध्यापन एवं सीखने पर जोर देने वाली गतिविधियों के दृष्टिकोण से इन कार्यविधियों का सर्वाधिक महत्व है। इसके लिए छात्रों एवं अध्यापकों की कक्षा कक्ष में नियमित उपस्थिति पूर्वप्रतिबंध है। आईसीटी समर्थित शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में सीखने की प्रक्रिया के परिणामों में स्पष्ट रूप से प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक विषय के लिए संभावित शिक्षण परिणामों पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि यह शिक्षकों, विद्यालयी प्रमुखों के द्वारा आसानी से समझा जा सके और इसे माता–पिता और समुदाय के बीच व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सके।

समझ के साथ पठन के लिए अध्ययन के महत्व पर बल देने के एक प्रारूप के साथ वर्ष 2014 में सरकार के द्वारा शुभारंभ किए गए 'पढ़े भारत बढ़े भारत' हेतु मजबूत बुनियाद की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को रोचक और लोकप्रिय बनाने के क्रम में सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय अविष्कार अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से विद्यालयों के पास आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों से परामर्शदाता के तौर पर अनुभव प्राप्त करने के अवसर होते हैं। हाल ही में प्रारंभ किए गए अटल अभिनव अभियान और अटल टिंकरिंग लैब से छात्रों के बीच महत्वपूर्ण विश्लेषण, सृजनात्मकता और समस्या को सुलझाने जैसी गतिविधियों को बल मिलेगा।

देश के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को आईसीटी से लैस किया जा रहा है ताकि बच्चों को पढ़ाने में आईसीटी का लाभ लिया जा सके और उनमें सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी साक्षरता में भी सुधार किया जा सके। द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सिस (एनआरओईआर) और हाल ही में प्रारंभ किया गया ई–पाठशाला विद्यालय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी डिजिटल और डिजिटल योग्य संसाधनों को एक साथ एक मंच पर ला रहा है।

मूल्यांकन और आकलन

एक छात्र की अध्ययन प्रगति का आकलन करना शिक्षक की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक है। कक्षा में छात्रों के नियमित और निरंतर मूल्यांकन से अभिप्राय बच्चों और माता–पिता को प्रतिक्रिया देना, शिक्षक को प्रतिक्रिया और बच्चों के बीच अध्ययन समस्याओं के समाधान के लिए हल निकालना है। अध्ययन मूल्यांकन तंत्र पर आधारित एक शैक्षिक वातावरण वाली कक्षा में ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि शिक्षक और छात्र दोनों ही सीखने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हमें क्या मूल्यांकन करना है इसमें सुधार किया जा सकता है। छात्र अपने अध्ययन में कितनी प्रगति कर रहे हैं और इसके साथ–साथ शिक्षा के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के मामले में व्यवस्था का निष्पादन कैसा है इसके लिए मूल्यांकन पर आधारित कक्षा के साथ व्यापक स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण को जानने की भी आवश्यकता होती है। सरकार ने एक प्रक्रिया की पहल की है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें सरकारी विद्यालयों, सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय और निजी विद्यालय शामिल होंगे। इस सर्वेक्षण का प्राथमिक प्रायोजन निर्धारित अध्ययन लक्ष्यों की तुलना में छात्रों के प्रदर्शन को समझने के लिए विद्यालयों को एक अवसर प्रदान करना है। परिणामों के आधार पर विद्यालय सीखने के स्तर में सुधार करने के लिए एक विद्यालय स्तर की योजना तैयार करेंगे। इस तरह के सर्वेक्षण से शिक्षण परिणामों को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक परिवेश तैयार होगा। शिक्षकों और छात्रों की प्रतिक्रियाएं शीघ्रता से मिलगी ताकि वे शिक्षण अंतरालों के समाधान के लिए समय से कार्रवाई कर सकें, एक समयावधि के भीतर छात्रों के प्रदर्शन को समझ सकें और शैक्षिक व्यवस्था की स्थिति के बारे में पाठ्यक्रम निर्माताओं, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों तथा शैक्षिक प्रशासकों को एक व्यवस्थित प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें। यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है।

विद्यालय प्रभावशीलता

विद्यालयों के प्रभावी ढ़ंग से प्रदर्शन के लिए विद्यालय प्रमुख का सशक्तीकरण महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्रधानचार्यों के लिए एक पृथक कैडर बनाने के लिए कदम उठाने की सलाह दी है। एक पूर्णकालिक प्रधानाचार्य के क्षमता निर्माण से इस व्यवस्था को एक लक्षित तरीके से किया जा सकता है। भविष्य के विद्यालयों में प्रमुखों को प्रशिक्षण देने के लिए एनयूईपीए पर राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र ने एक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया है, जिसे पूरे देश में वर्तमान में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों में भी नेतृत्व अकादमियों के गठन की योजना है जिससे उनके राज्यों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

विद्यालयों का विभिन्न आयामों में निरंतर मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है ताकि सुधार की आवश्यकता का समावेश किया जा सके। गुजरात में गुणोंत्सव, मध्यप्रदेश में प्रतिभा पर्व, राजस्थान में सम्बलन और ओडिशा में समीक्षा जैसी पहलें बेहतर उदाहरण है। एनयूईपीए द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शाला सिद्दी नामक एक व्यापक विद्यालय मूल्यांकन प्रारूप को तैयार किया गया है और नवंबर 2016 में इसका शुभांरभ कर दिया जाएगा। यह आत्म–मूल्यांकन और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन का एक घटक है। अपनी सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने और उन्हें बनाने के लिए विद्यालयों के द्वारा आत्म–मूल्यांकन का उपयोग किया जाएगा।

छात्रों और शिक्षकों का समक्ष आधार डाटा बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे बच्चों के एक कक्षा से अगली कक्षा में जाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी और इस प्रकार से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की पहचान के लिए प्रणाली को समक्ष बनाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पात्र बच्चे मध्याह्न भोजन, पाठ्य पुस्तकें और छात्रवृतियों को प्राप्त करने के साथ–साथ छात्र और शिक्षक की उपस्थिति की निगरानी भी की जाएगी।

विद्यालय बुनियादी ढ़ांचा

सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से विद्यालय बुनियादी ढ़ांचे के प्रावधानों के तहत उल्लेखनीय प्रगति की गयी है। एसएसए के प्रारंभ होने के बाद से 2.23 लाख प्राथमिक और करीब 4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय भवन तैयार किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में छात्राओं और छात्रों के लिए एक पृथक कार्यात्मक शौचालय होने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर राज्यों, संघशासित प्रदेशों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों और निजी संस्थानों ने सकारात्मक प्रक्रिया व्यक्त की है। स्वच्छ विद्यालय पहल के अंतर्गत 4.17 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। शौचालयों को स्वच्छ, कार्यात्मक और बेहतर बनाए रखने को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

आज हम विद्यालयों को मात्र इमारतों और कक्षाओं के रुप में ही नहीं देखते हैं, एक स्कूल में मूल शिक्षण स्थितियों के साथ–साथ इसमें बिजली की व्यवस्था, कार्यात्मक प्रयोगशाला और पाठन स्थल, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कम्पूटर प्रयोगशालाएं, शौचालय और मध्याह्म भोजन को पकाने के लिए एलपीजी कनेक्शन भी अवश्य होना चाहिए। सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों को सलाह दी जा चुकी है कि वह वर्तमान वर्ष में सभी माध्यमिक विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करें जबकि शेष विद्यालयों को एक लघु अवधि की सीमा के भीतर शामिल किया जा सकता है।

सामुदायिक भागीदारी

एक व्यापक और विविधता से भरे देश में निर्णय लेना और जवाददेही का विकेन्द्रीकरण ही सफलता की कुंजी है। विद्यालय शिक्षा के मामले में समुदाय विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्मम से विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब तक इन समितियों को विद्यालय भवन के निर्माण जैसी गतिविधियों के प्रावधानों में शामिल किया जा चुका है। इससे आगे बढ़ते हुए विद्यालय समितियों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता होगी ताकि वे बच्चों के शिक्षण के लिए विद्यालय की जवाबदेही पर भी नियंत्रण कर सके। माता–पिताओं और एसएमसी सदस्यों को कक्षावार लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। एसएमसी बैठक, सामाजिक अंकेक्षण अथवा विद्यालय शिक्षा पर ग्रामसभा बैठकों जैसे प्रयासों को भी विद्यार्थी के अध्ययन में जोड़ने और उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्यित करने के लिए माता–पिता और समुदाय के सदस्य आगे कदम बढ़ाते हुए अपने बच्चों के शिक्षण के लिए विद्यालयों की जवाबदेही पर नियंत्रण बना सकते हैं। इसके लिए भाषा को आसानी से समझने के लिए शिक्षण लक्ष्यों को कक्षावार तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और विद्यालयों के साथ–साथ इसके व्यापक प्रचार–प्रसार को प्रदर्शित करने की भी योजना है।

राष्ट्र के लिए आजादी के 70वें वर्ष की पूर्ण संध्या पर इस संदेश के माध्यम से कि यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुघार के सकारात्मक अभियान में स्वयं को प्रतिबद्ध करना चाहिए। इस अभियान में सरकार, नागरिक समाज संगठन, विशेषज्ञों, माता–पिता, समुदायिक सदस्यों और बच्चों सभी के प्रयासों की आवश्यकता होगी। यही समय है जब विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के इस मुद्दे पर एक टीम इंडिया का गठन किया गया है ताकि 21वीं सदी का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए अगली पीढ़ी को सक्षम बनाने हेतु एक ठोस बुनियाद का निर्माण किया जा सके।

(लेखक भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में विद्यालय शिक्षा और साक्षरता सचिव हैं।)

महिला सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका

— विकास मोदी

नारी सृष्टि निर्माता की अद्वितीय रचना है। उसके अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वह कोमलता, पवित्रता, मधुरता आदि दिव्य गुणों से युक्त होती है। नारी श्रद्धा है, शक्ति है, पवित्रता है, वह वो सब कुछ है, जो इस संसार में श्रेष्ठत्व के रूप में दिखाई देता है। नारी एक सनातन शक्ति है, वह अनादिकाल से उन सामाजिक दायित्वों को अपने कंधों पर उठाए आ रही है, जिन्हें केवल पुरूषों के कंधों पर डाल दिया जाता तो वह कभी का लड़खड़ा गया होता। नारी ने न केवल पुरूष बल्कि समग्र समाज के प्रति अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया है। सीता के पतिव्रत धर्म को, कैकेयी द्वारा युद्ध के मैदान में दशरथ को दी गई सहायता को, द्रौपदी के द्वारा युद्ध के लिए अपने पति को दिए उपदेश को, लीलावती के गणित ज्ञान को, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र के विकास में दिए गए योगदान को, कल्पना चावला के अंतरिक्ष विज्ञान में दिए गए योगदान को, कौन नहीं जानता है ? किंतु फिर भी उसे अबला, रमणी जैसी संज्ञाओं से संबोधित होकर पुरुष की दासी, उपेक्षा और अनादर का पात्र बनना पड़ा है और शायद आज भी लगातार बनना पड़ रहा है। दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि अनेक रुप में पूजे जाने वाली नारी पर भारतीय पुरुषों ने भी कोई कम अत्याचार नहीं किया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति को लगभग सात दशक पूरे होने वाले हैं। पर महिला आज भी बराबरी को मोहताज है। जीवन के हर मोड़ पर और हर क्षेत्र में उसे पुरुष के समान महत्व प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 29 नवम्बर 2015 को सिगणापुर के शनि मंदिर के चबूतरे पर जाकर एक महिला के दर्शन करने के बाद वहां के पुजारी ने अभिषेक करके उस जगह को शुद्ध किया। प्रश्न उठता है कि क्या किसी महिला के स्पर्श मात्र से कोई जगह अशुद्ध हो सकती है ? सभ्य समाज के लिए निश्चित ही यह एक विचारणीय प्रश्न है? कई मंदिरों में आज भी महिलाओं के प्रवेश को लेकर पाबंधी है। मंदिरों में प्रवेश को लेकर भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई लगातार संघर्षरत हैं। जिन्होंने 2010 में पुणे में भूमाता ब्रिगेड का गठन किया था। यह तो धार्मिक क्षेत्र की बात है जहां लोग मानते हैं कि सभी स्वयं ईश्वर की रचना हैं पर यह क्षेत्र अमूनन किसी संविधान द्वारा प्रत्यक्षतः प्रशासित नहीं होता। जीवन के जो क्षेत्र संविधान द्वारा प्रशासित होते हैं वहां भी महिलाओं की स्थिति कोई खास बेहतर नहीं है। संविधान में महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं वे भी उन्हें स्वतः ही प्राप्त नहीं होते। उन्हें भी प्राप्त करने के लिए महिलाओं को बराबर संघर्ष करना पड़ता है। स्पष्ट है कि 21 वीं सदी में वैश्विक समाज के साथ चलने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा।

महिला सशक्तीकरण का अर्थ

महिलाओं के सशक्तीकरण का अर्थ है शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए उन्हें सामाजिक सेवाओं के समान अवसर, राजनैतिक, और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन का अधिकार आदि प्रदान करना ताकि समाज जीवन में एक स्वतंत्र अस्तित्व के रुप में वे एक स्वतंत्र, स्वावलम्बी तथा सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें। इसके लिए आवश्यकता माहिलाओं में स्वयं की ताकत के बारे में चेतना जाग्रत करने की है। इससे केवल महिलाओं का ही कल्याण नहीं होगा बल्कि समाज का भी कल्याण होगा। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा सहनशीलता, शिक्षा ग्रहण करने, संस्कारित करने तथा अभिव्यक्ति की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसलिए महिला सशक्तीकरण हेतु पहली प्राथमिकता बालिकाओं को शिक्षा देने की होनी चाहिए।

महिला सशक्तीकरण हेतु शिक्षा की आवश्यकता

शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं में बौद्धिक क्षमताओं का विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, रचनात्मक विकास तथा सृजनात्मक विकास संभव है। शिक्षा महिलाओं को शिक्षित ही नहीं बनाती बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाती है। शिक्षा के द्वारा ही महिलाएं अपनी मातृशक्ति का उपयोग सृजनात्मक कार्यों व उन्नत उर्जा शक्ति में कर सकती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा था कि ''लड़के कि शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, जबकि एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।'' यह बात सच भी है क्योंकि यदि एक बालक शिक्षा ग्रहण करता है तो एक व्यक्ति ही शिक्षित बन पाता है जबकि एक बालिका शिक्षित होकर सम्पूर्ण परिवार को शिक्षित बनाती है। राष्ट्र के सुखद भविष्य के सपने अच्छी बालिका शिक्षा पर ही निर्भर है। भूतपूर्व राष्ट्रपति ड़ा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि ''शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता है।'' शिक्षा वही है जो हम की धारणा का विकास करती है। अर्थात् जिससे अहंकार का भाव खत्म होता है। अतः हम कह सकते हैं कि महिला की शिक्षा महिला सशक्तीकरण में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का शिक्षित होना देश, समाज, परिवार, के हित के लिए अत्याधिक आवश्यक है। महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है :

- शिक्षा महिलाओं कों आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाती है।
- शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाती है।
- शिक्षा से महिलाएं समाज व राष्ट्र को उन्नत बनाने में सहायता करती हैं।
- महिलाएं सीमित परिवार के महत्व को समझकर जनसंख्या वृद्वि पर रोक लगाने में सहायता करती हैं।

– शिक्षा सामजिक बुराईयों को रोकने में महिलाओं की सहायता करती है।
– शिक्षा से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है।
– शिक्षा महिलाओं में राष्ट्र विकासोन्मुखी कार्यों के प्रति रचनात्मक एवं सकारात्मक सोच पैदा करती है।
– शिक्षा के कारण महिलाएं समाज व राष्ट्र को उन्नत बनाने में सहायता करती है।
– शिक्षा के माध्यम से तृप्ति देसाई जैसी महिलाओं के संघर्ष की कहानी का व्यापक प्रचार व प्रसार संम्भव हो सकता है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि महिलाओं के सशक्तीकरण में महिला शिक्षा की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस ओर सतत् प्रयत्नशील है और हर भारतीय का कर्तव्य है कि महिला सशक्तीकरण हेतु महिला शिक्षा के विकास में अपना तन–मन– धन से सहयोग करे। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिला शिक्षा में आशातीत सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी अथक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि महिला शिक्षा में आने वाली सम्यास्ओं का समाधान किया जा सके। वर्तमान में महिला शिक्षा की निम्न प्रमुख समस्याएं हैं –

मां–बाप की गलत सोच – भारत में आज भी माता–पिता की यही सोच है कि बेटी तो पराया धन है, वह एक ऐसा वृक्ष है जो पराए आंगन में छाया देता हैं। इसलिए बलिका शिक्षा पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं।

पुत्र प्राप्ति चाह – पुत्र प्राप्ति की चाह में बालिका अनुपात घटता जा रहा है। साथ ही लड़के के जन्म के बाद लड़कियों को अनचाही वस्तु समझकर उपेक्षित कर दिया जाता है जिससे उनकी शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

शोषण – आज लड़कियों पर अत्याचार, बलात्कार, शोषण, व देह व्यापार आम घटनाएं होती जा रही हैं। इन कारणों से बालिकाओं को विद्याालय नहीं भेजा जाता है।

घरेलू कार्य – बचपन से ही लड़कियों को घरेलू कामकाज में व्यस्त रखा जाता है जिससे अशिक्षा को बढ़ावा मिलता है।

मां के उत्तरदायित्वों का निर्वाह – कुछ लड़कियों को बहुत जल्दी स्कूल से सिर्फ इसलिए निकाल लिया जाता है कि वह अपनी मां की जगह प्रतिनिधि गृहणी या मां की भूमिका निभाए।

बाल विवाह – लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है जिससे भी वे पढाई पूरी नहीं कर पाती हैं।

मंहगी शिक्षा – आज शिक्षा मंहगी हो गयी है। इस कारण भी मध्यम वर्ग के अनेक परिवार अपनी लड़कियों की पढ़ाई बंद करवा देते हैं।

छोटे बच्चों का पालन – गरीब परिवार में स्त्री पुरुष दोनों ही काम पर जाते हैं जिससे लड़कियों को बच्चों को रखने के लिए घर पर रखा जाता है। इससे उनकी शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

पर्याप्त प्रोत्साहन का अभाव – बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों को पर्याप्त प्रोत्साहन भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए भी उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

असुरक्षा की भावना – भारत के अधिकांश राज्यों में असामाजिक तत्वों का बोल–बाला है जिससे समाज में व्यापत ड़र, असुरक्षा की भावना भी लड़कियों को स्कूल न भेजने में सहयोग करती है।

महिला शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव

महिला शिक्षा में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देने की आवश्यकता है–

– बालिका की शिक्षा पर यथोचित् ध्यान देने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना।
– पुत्र तथा पुत्री को एक समान समझने की भावना माता–पिता में विकसित करना।
– घरेलू कार्यों की अपेक्षा बालिका को विद्यालय भेजने की प्राथमिकता के बारे में सोच जाग्रत करना।
– बाल विवाह पर कठोर नियंत्रण करना।
– बालिका शिक्षा को सस्ती तथा सुलभ बनना।
– बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृतियों, शुल्क मुक्ति, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, मुफ्त विधालय गणवेश, छात्रावास आदि की सुविधाएं उपल्बध कराना।

निःसंदेह उपरोक्त सुझावों की क्रियान्वयन के पश्चात् महिला शिक्षा का बहुत तेजी से विकास होगा तथा महिला सशक्तीकरण भी होगा क्योंकि महिला सशक्तीकरण तथा महिला शिक्षा दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।

जरुरत जेंडर बजट की

– विकास नारायण राय

आश्चर्य, भारत को सिंधू, साक्षी और कर्मकार के रुप में जेंडर चैंपियन तो मिल गई, रियो में अन्य महिला भागीदारों की आंखों में तैरते सफलता के सपनों की कोशिश भी देश ने शिद्दत से महसूस की, हालांकि तब भी जेंडर बजट का मुद्दा हमारी चर्चा से नदारद है। बेशक, ओलंपिक के बाद के तमाम विश्लेषणों के केंद्र में खिलाड़ियों की तैयारी पर होने वाले खर्च का आकड़ा जरुर उद्धत हो रहा है। ओलंपिक के दौरान ही पटियाला में राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल की एक लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसे कॉलिज के छात्रावास में रहने की जगह नहीं दी गई, जबकि उसके पिता घर से रोज उसके आने जाने का लगभग तीन हजार महीने का खर्च उठाने में असमर्थ थे। पिछले दिनों महाराष्ट्र के एक गांव में पंद्रह वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी की अभ्यास से लौटते समय स्थानीय लम्पटों ने सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी। क्या शौचस्थलों के बाद क्रीड़ास्थल भी गांवों में यौन अपराधों के अड्डे बनते जा रह हैं ? पिछले वर्ष केरल के साई हॉस्टल मे रहने वाली ग्रामीण पृष्ठभूमि की तीन व्यथित तैराक लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। उनसे दुर्व्यवहार के आरोपों की पृष्ठभूमि में साई ने एक आंतरिक जांच बिठाई, जिसकी प्रगति को आज तक बाहर साझा नहीं किया गया। ऐसे सैंकडों–हजारों दृष्टांत हैं जो खेलों में जेंडर बजट के मोहताज हैं।

इस माहौल में, रियो ओलंपिक में महज लड़कियों के ही खाते में दो पदक आने से आम भारतीय बेहद भावुक हो उठा है। वह इस तर्क का कायल लगता है कि एक मध्यवर्गीय खेल परिवार की बेटी (पीवी सिंधू), एक किसान पष्टभूमि की बेटी (साक्षी मलिक) और एक श्रमिक की बेटी (दीपा कर्मकार) के ओलंपिक में क्रमशः रजत पदक, कास्य पदक और चौथे स्थान की कीमत भारत जैसे देश के लिए कई – कई स्वर्ण पदकों जितनी होनी चाहिए। आखिर भारत वह देश है जहां एक ओर आम किसान – श्रमिक का जीवन कर्ज और शोषण से भरा रहता है और दूसरी ओर पूंजीशाहों को देश के लाखों करोड़ हड़पने दिए जाते हैं। जबकि साक्षी मलिक के गांव मोखरा खाश (रोहतक, हरियाणा) में लिंग अनुपात है एक हजार पुरुषों के पीछे आठ सौ स्त्रियों का !

नीतिकारों – योजनाकारों और शासकों–प्रशासकों का समूह ही खेल की दुनिया में भी महिलाओं को जेंडर बजटिंग से वंचित रखे हुए है। तमाम सभ्य संसार में महिलाओं को समान

अवसर व सामाजिक सुरक्षा देने और यौनिक हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा–हर्जाना–परामर्श कवच के रुप में जेंडर बजटिंग की अवधारणा एक सफल रणनीति की तरह इस्तेमाल हो रही है। क्या हमारे पास धन की कमी है ? 'निर्भया फंड' में पिछले तीन वर्षों में तीन हजार करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं, पर जुमलेबाजी से सरकारों को इतनी भी फुरसत नहीं की इस मद से एक पैसा भी खर्च कर सकें। अन्यथा, देश की बेटियों ने शायद मेडल की बाढ़ लाने की जिद बहेतर निभाई होती! साक्षी मलिक ने रियो में पदक जीतने पर कहा कि पहलवान बनने का निर्णय उनका अपना निर्णय था और ओलंपिक का सपना उसने बारह वर्ष जिया। दरअसल, भारतीय स्त्रियों ने शिक्षा के मोर्चे पर डटने के बाद खेल के मैदान की लैंगिक जुए को उतार फेंकने की अपनी जद्दोजहद में महत्वपूर्ण पड़ाव बना लिया है।

महिला विकास मंत्रालय देखने वाली मंत्री मेनका गांधी ने माना कि सिंधू, साक्षी और दीपा, तीनों लड़कियों ने अपने दम पर ओलंपिक सफलताएं हासिल की है और इसका विशेष तौर पर संज्ञान लेना चाहिए। काश, मंत्री को यह जानने की फुरसत भी होती कि निर्भया कांड के साढ़े तीन वर्ष बाद भी उनका मंत्रालय एक भी रेप क्राइसिस सेंटर क्यों नहीं स्थापित कर सका है। सरकार ने तब वर्मा आयोग की सिफारिश पर देश भर में सिंगल पॉइंट रेप क्राइसिस सेंटर बनाने का फैसला लिया था। भावना यह थी कि बलात्कार पीड़ित को जगह – जगह धक्के न खाने पड़ें और उसे तुरन्त एक ही स्थान पर मेडिकल उपचार, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, आर्थिक सहयोग, सामाजिक सशक्तीकरण जैसी तमाम सुविधाएं दी जा सकें। होना तो यह चाहिए था कि पीड़ित का घर ही स्वतः रेप क्राइसिस सेंटर में बदल दिया जाता, जहां पहुंच कर डॉक्टर, पुलिस, मजिस्ट्रेट, जज, मनोचिकित्सक, परामर्शदाता, आर्थिक – सामाजिक प्रदाता अपना – अपना योगदान पहुंचाने के जिम्मेदार होते। लेकिन इतना सुगम कदम देश के शासन–प्रशासन के बस में कहां!

सरकारी–सामाजिक नजरिये के बावजूद, रियो में भारतीय लड़कियों की रिकॉर्डतोड़ भागीदारी, समाज की मुख्यधारा में उनकी बढ़ती दस्तक का जीवंत सूचक भी है। इनमें सानिया मिर्जा और सायना नेहवाल जैसे ग्लैमर भरे विश्व चैंपियन नामों के साथ तीरंदाजी, कुश्ती, हाकी, जैसे पारंपरिक पुरुष खेलों की महिला भागीदार भी शामिल हैं। दरअसल ग्रामीण अंचलों, कस्बों और दूरदराज के शहरों में आज अभिभावक अपनी बेटियों के लिए खेल की दुनियां में निहित अवसरों को पहचानने लगे हैं। लड़कियां भी खेल के मैदान में पारंपरिक लैंगिक जुएं से वक्ती मुक्ति की प्रणाली के रुप में देखने लगी हैं। लैंगिक पूर्वग्रह से भरे समाज में उन्होंने इसकी कीमत भी चुकाई होती है। खेलों में जेंडर बजट की अवंधारणा के अभाव में बहुतों ने कुछ ज्यादा ही !

लड़कियों को समाज की मुख्यधारा में लाने में खेलों की चौतरफा भूमिका को देखते हुए खेल मैदानों को उनके लिए सुरक्षित व संतुलित करना पूर्व–शर्त की तरह होना चाहिए। निःसंदेह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महिला खिलाड़ियों का निरंतर उदय उन्हें उपलब्ध हो रही आधुनिक खेल सुविधाओं और खर्चीले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देन कहा जा सकता है। इस वर्ष का केन्द्र सरकार का खेल बजट लगभग नौ सौ करोड़ है जबकि पिछले वर्ष लगभग साढ़े छह सौ करोड़ रहा था। खेल संघों को भी एक सौ पचासी करोड़ की सहायता राशि दी जा रही है। यहां तक कि एंटी डोपिंग मद में बारह करोड़ और प्रतिभा–तलास पर पांच करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो भी खेल की दुनिया में भी एक जेंडर निरपेक्ष बजट ही बनता है।

खेलों में यदि जेंडर सापेक्ष बजट की अवधारणा लागू की जाती तो महिला खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता और खेलगत कौशल के साथ–साथ निश्चित ही उनकी सामाजिक सुरक्षा व भावनात्मक स्थिरता और उसके लिए जरुरी मैनोवैज्ञानिक परामर्श व यौनिक हिंसा से बचने के उपायों को भी खेल पर खर्च का हिस्सा बनाया जा रहा होता। जेंडर बजट होने का मतलब होता इस कार्यान्वयन के लिए वांछित वित्त की नियोजित व्यवस्था और खर्च–जबाबदेही की समुचित लेखा प्रणाली।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में तरह–तरह के कितने भी कदम, जेंडर बजट न होने की क्षर्तिपूर्ति नहीं कर सकते। इसे हम इजराइल के उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां स्त्रियां जीवन के हर क्षेत्र में, यहां तक की सेना की लड़ाकू (कॉम्बैट) भूमिका में भी, जमाने से लैंगिक बराबरी की मिसाल के रुप में देखी जाती हैं। सवाल है कि अपनी तमाम जीवटता के बावजूद वे भी खेलों में फिसड्डी क्यों हैं ? इजराइल में टीम खेल सुविधाओं का इस्तेमाल करने वालों में सड़सठ फीसद पुरुष और तैतीस फीसद महिलाएं हैं। इन सुविधाओं की देख–रेख विभिन्न रीजनल कौंसिलों के हाथ में है। माशे अशर रीजनल कौंसिल ने 2014–15 के खेल बजट की विशेष जेंडर ऑडिटिंग कराई जो मुख्यतया दो बिन्दुओं पर केंद्रित रही – स्त्रियों और पुरुषों की अलग खेल जरुरतों को चिन्हित करना और उन्हें पूरा करने में राजनैतिक निर्णयों, जन सेवाओं और बजट आबंटन की भूमिका का विश्लेषण।

इस कवायद के निष्कर्ष बहुत कुछ भारतीय सामाजिक–लैंगिक स्थितियों पर भी खरे उतरते लगते हैं। उन्होंने पाया की पेशेवर खेलों की भागीदारी में तो पुरुष और लड़के छाए हुए हैं हीं, बल्कि समय व अवसर आंबटन में भी महिलाओं और लड़कियों की अपेक्षा उन्हीं की सुविधा व जरुरत को तरजीह मिलती है। जहां प्रारंभिक स्कूलों में छब्बीस फीसदी लड़कियां खेलों में भागीदारी कर रही थीं वहीं माध्यमिक/हाई स्कूलों तक आते–आते यह संख्या ग्यारह फीसदी रह गई। प्रतियोगी खेलों में इतर, मनोरंजन के लिए पूर्ण वयस्कों की

श्रेणी में तिरानवे फीसद महिलाएं खेलों में भाग लेती मिलीं। मुख्यतया थ्रो बॉल में ऑडिट ने पाया कि तैंतीस प्रतिशत महिला प्रतियोगी होने के बावजूद खेल बजट का इक्कीस प्रतिशत ही उन पर खर्च किया जा रहा था। जहां स्त्रियों में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल जिम्नास्टिक – को पूरी तरह भागीदारों के फंड़ से ही चलाया जा रहा था वहीं पुरुषों में सर्वाधिक लोकप्रिय – वॉलीवाल – को व्यापक पब्लिक फंडिंग मिल रही थी। पाया गया कि कुल पब्लिक फंडिंग का सत्तर फीसद पुरुष और तीस फीसद महिला खेलों पर खर्च हो रहा था। यहां तक कि महिलाओं के लिए वॉलीवाल कोर्ट की मांग कौंसिल ने अनसुनी कर दी। कौंसिल की केवल पच्चीस फीसद कोच महिलाएं थीं। तमाम खेल संसाधनों का इस्तेमाल पुरुषों के लिए होता आ रहा था। ऑडिट ने स्त्रियों को बढ़ावा देने के लिए एक संचालन समिति और एक मास्टर प्लान की सिफारिश की। क्या ये सारे कदम भारत के संदर्भ में भी अभीष्ट नहीं ? बस इनमें यौनिक हिंसा से सुरक्षा को और जोड़ना होगा।

ओलंपिक पदक में सारे देश की अपार दिलचस्पी ने महिलाओं/लड़कियों की खेल में भागीदारी को लैंगिक समानता के स्वीकार्य आयाम के रुप में स्थापित कर दिया है। सुखद है कि न कहीं से कपड़ों का रोना रोया गया और न कोई असुरक्षा का राग अलापता मिला। इसे नीतिकारों और योजनाकरों के लिए जेंडर बजट पर केंद्रित होने और चैंपियनों की बड़ी फौज खड़ी करने का सही समय भी कहा जा सकता है। (साभार जनसत्ता)

न्याय राज्यों में मनुष्यों का आपसी बंधन है, और न्यायकरण, जो कि औचित्य का निर्धारण है, राजनीतिक समाज में व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत है।''

अरस्तु

'जनमत किसी क्रांति में इसलिए शामिल नहीं होता कि उसके पास समाज के पुनर्निर्माण की कोई योजना तैयार होती है, बल्कि उसकी यह उत्कट भावना होती है कि वे पुरानी शासन व्यवस्था को बर्दाशत नहीं कर सकते।''

बीसवीं शताब्दी के महान क्रांतिकारी
लियोन त्रोत्सकी

कौशल विकास एवं आजीवन शिक्षा

– कृष्ण कुमार आहूजा

जीवन के विकास क्रम में जब हम सदैव ही नये–नये अनुभव एंव स्थितियों के सम्पर्क में आते हैं तो हमें अनेक ऐसी छोटी–छोटी बातों का भान नहीं हो पाता जिनका हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। अकसर हम यह भूल जाते हैं कि छोटी–छोटी जिम्मेंदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकने के कारण ही परिवार अथवा समाज में हमें बड़ी जिम्मेदारियों और दायित्वों को संभालने लायक समझा जाता है। स्पष्ट है कि यदि हम अपने जीवन पथ में सामने आने वाले छोटे – छोटे कार्यों को बेहतर ढंग से करना सीख लें तो बड़े से बड़े कार्यों को भी बखुबी सम्पादित करते हुए एक महान् उददेश्य की प्राप्ति कर अपना और अपने समाज का समुचित विकास कर सकते हैं।

ऐसा प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में छोटी–छोटी महत्वहीन बातों को अधिक महत्व देते हुए विवादों एवं उलझनों के एक भंवर जाल में फंस कर अपनी समस्त ऊर्जा गॅवा देते हैं। परिणाम यह होता है कि जीवन में जब कोई महत्वपूर्ण अवसर आता है तब व्यक्ति में संघर्ष शक्ति का अभाव दिखने लगता है और उसके महत्वपूर्ण लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। निजी जीवन की प्राथमिकताओं के बारे में सुक्ष्म समझ के विकास से ही इस संकट से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार की समझ विकसित करने के लिए व्यक्ति में सदैव सीखने की प्रवृति का होना आवश्यक है। इससे न केवल व्यक्ति के अनुभव के दायरे का विस्तार होगा बल्कि उसके निजी ज्ञान भण्डार में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ उसके सकारात्मक सोच को भी बल मिलेगा।

विश्व का वर्तमान परिवेश कई मायनों में पहले से कहीं ज्यादा दूषित हो गया है जिसके कारण मानव का मौजूदा मनोविज्ञान भी प्रदूषित हुआ है। वर्तमान पीढ़ी के मनोविज्ञान पर गौर करने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे लोगों को विघटनकारी, विध्वंसात्मक एवं अकल्याणकारी कार्य करने में सुख की अनुभूति होने लगी है। लोग आज स्वंय को भुला कर दूसरों की कमियों को देखने में, उनकी आलाचना करने में, उनकी बुराई करने में ही अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। सम्भवतः व्यक्ति को सुख एंव शांति से रहने में घबराहट–सी हाने लगी है। उसकी समग्र सोच आज दूसरों का अनर्थ करने पर केंद्रित हो गई है। अपनी इस विघटनकारी मानसिकता के कारण वह सोच भी नहीं पाता कि दूसरों को दुःख पहुंचाकर कभी सुखी नहीं रहा जा सकता।

हमारी अब तक की विडंबना रही है कि हमारे यहॉ स्कूल–कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षा को किताबों तक सीमित कर दिया गया है। आज भी कई शिक्षा बोर्डो, परिषदों के करिकुलम/सिलेबस दशकों से जस के तस हैं, जबकि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। बाजार, कारोबार और उधोगों का तेजी से विस्तार हुआ है और ऐसे में इनकी अपेक्षाएं भी काफी हद तक बदल गई हैं। इसे देखते हुए पिछले कई सालों से इंडस्ट्री के जानकार देश में दक्षता सम्मपन्न मानव संसाधान (स्किल्ड मैनपावर) की अनुपलब्धता पर लगातार चिंता जता रहे हैं, लेकिन इसे सुनकर भी अनसुना किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, तो देश के शैक्षणिक संस्थानों से अभी भी हर साल लाखों बेरोजगारों की फौज निकलने की बजाय हुनरमंद युवा निकलते, जिन्हें हासिल करने के लिए कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती।

आज का युवा मेधा सम्पन्न और ऊर्जावान है तथा स्वावलम्बी जीवन जीने की इच्छा रखता है। जरूरत उनकी क्षमताओं को सही दिशा देने की है ताकि वे न केवल अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकें बल्कि अपनी योग्यताओं के आधार पर उस लक्ष्य को साध भी सकें। युवाओं को मिलने वाला माहौल भी उनकी उपलब्धियों को तराशने में अहम भूमिका निभाता है। आजकल संयुक्त परिवारों की संख्या लगातार घटती जा रही है। संयुक्त परिवारों में बच्चों के माता–पिता के अलावें भी ऐसे कई अनुभवी और शिक्षित स्वजन उपलब्ध होते थे जो अभिभावक की तरह ही बच्चों से स्नेह रखते थे और उनकी देखभाल करते थे। इसलिए माता–पिता की अनुपस्थिति में भी बच्चों के परवरिश में कोई अड़चन नहीं आती थी। अब स्थिति तेजी से बदल रहीं है। कतिपय तात्कालिक लाभों के लिए लोग अब एकल परिवारों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। एकल परिवारों में परिवार का सारा दारोमदार पैरेंट्स पर निर्भरशील होता है। ऐसे परिवारों में अभिभावक जब काम पर चले जाते हैं तो बच्चों की ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं होता है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालयों तक में अध्यापक और छात्रों के बीच के रिश्तों में भी व्यापक बदलाव आया है। व्यावसायिकता के इस दौर में शिक्षक अध्यापन को राष्ट्र निर्माण का माध्यम कम और अपनी आजीविका का साधन ज्यादा मान रहे हैं। परिणामस्वरुप अध्यापक और छात्रों के बीच जुड़ाव में कमी आ गई है। अध्यापक पूर्व की भांति अब छात्रों के व्यक्तिगत जीवन पर शायद ही कोई प्रभाव रखते है। इसलिए उस उम्र में जब छात्र छात्रत्व के भाव से सराबोर हो अपने लिए उच्च्य जीवन लक्ष्य निर्धारित करते थे, अब के युवा सही दिशा न मिलने के कारण दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनमें भटकाव पैदा हो रहा है। ऐसे में जरूरत है बच्चों को क्वालिटी टाइम देने की। ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ें।

दूसरा पहलू है समाज। समाज से भी हमें बहुत कुछ सीखने व देखने को मिलता है। लेकिन आज हमारे समाज में भी अपनत्व, जुड़ाव, भावनाओं का संचार विलुप्त सा होता दिख रहा है। ऐसे में यहां से भी युवाओं को वह माहौल नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें अपने जीवन

में आदर्श मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। कहते हैं कि युवा बोलने से ज्यादा देखने से प्रभावित होते हैं। वे बचपन से जैसा देखते या अनुभव करते आ रहे हैं भविष्य में वही बातें उनके अंदर प्रतिध्वनित होती हैं। पर हमारा समाज भी सक्रियता का वह महौल उपलब्ध नहीं करा पा रहा है जहां हर युवा हुनरमंद होकर स्वयं को स्वावलम्बी नागरिक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करे।

समस्या यहीं खत्म नहीं होती। आगे चलकर विश्वविद्यालयों में भी एक छात्र को बहुधा वही पुरानी चीजें मिलती हैं, जो उसे किताबी ज्ञान तो दे सकती हैं लेकिन कौशल के नाम पर उसे ऐसा कुछ प्रदान नहीं करती जिससे स्वयं को व्यावसायिक दुनियां में सफल बना सके। यहां यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि बाल अधिकार अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को किसी रोजगार में शामिल नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह है कि प्राथमिक शिक्षा से उपर के सभी स्तरों पर छात्रों को उनके पाठयक्रम के तहत ही ऐसा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वे हर स्थिति में बाजार की मांग के अनुरुप कुशलता से कमोबेश युक्त हों तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को लाभप्रद रोजगार का हिस्सा बना सकें।

छात्रों में यह जागरुकता उत्पन्न करने की जरुरत है कि वे ओपन स्कूल या फिर पत्राचार से पढ़ाई करते हुए दूसरे तकनीकी कोर्स भी कर सकते हैं। स्किल आधारित इस तरह के कोर्सेज के लिए बहुत से सरकारी व प्राइवेट संस्थानों में न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल होती है। देश में सबसे बड़े नियोक्ता माने जाने वाले रेलवे के अलावा सेना और एयरफोर्स में चयनित होने वालों में आज भी 10वीं पास उम्मीदवारों की संख्या सबसे बड़ी है। लेदर, इलेक्ट्रीशियन, कम्पयूटर हार्डवेयर, वेल्डर, फिटर, मोबाइल रिपेयरिंग इत्यादि कोर्स करने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ी है। सुक्ष्म, लघु एवं मध्ययम उद्योगों (एम.एस.एम.ई.) सहित कई ऐसे संस्थान हैं जो इस तरह के तकनीकी कोर्स कराते हैं। इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज की अवधि एक दिन से लेकर छह हफ्ते तक की होती है। इन कोर्सेज को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने के उपरांत युवाओं के लिए नौकरी और स्वरोजगार के रास्ते खुल जाते है। विभिन्न संस्थानों से डिप्लोमा करने वाले छात्रों को स्वरोजगार हेतु बैंक ऋणों में भी वरीयता मिलती है। देश में पॉलीटेक्निक कॉलेजों को मूल रूप से तीन हिस्सों – सरकारी, प्राइवेट, महिला कॉलेजों में बांटा गया है। इसमें भी प्रवेश की न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होती है। विश्वभर में मैकेनिकल, टैक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्यूनिकेशन, एयरोनॉटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, सिस्टम मैनेजमेंट जैसे बहुत से विषयों में तीन वर्षीय डिप्लोमाधारियों की खूब मांग है। आई.टी.आई. के जरिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स करके भी छात्र अपनी किस्मत चमका सकते हैं। आई.टी.आई. में कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन से लेकर वेलडर, लैब असिस्टेंट, मशीनिस्ट, प्रोडक्शन मैन्यूफैक्चरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग जैसे बहुत से विकल्प मौजूद हैं। इनमें से लड़कियों में

सिलाई–बुनाई, हाउस डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग, ट्रेवेल मैनेजमेंट आदि विशेष लोकप्रिय हैं। आज कॅरियर का कोई एक फार्मूला नहीं रह गया है। छात्र चाहें तो किसी भी कोर्स को चुन सकतें हैं और अपने कॅरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं।

विश्वविद्यालयों में भी तेजी से बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। नीति नियामक संस्थाएं इस बात पर भरपूर जोर दे रही हैं कि विश्वविद्यालयों के पाठयक्रम संरचना में भी युगानुकूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसलिए आजीवन शिक्षा पर भी विशेषरुप से ध्यान केंद्रित करने की बात हो रही है।

आज दुनियां के करीब सभी विकसित देश बदलते वक्त के साथ अपनी शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव करने के लिए प्रयत्नशील हैं, ताकि उनके युवा आवश्यक स्किल से युक्त होकर देश को आगे बढ़ाने में अपना सक्रिय योगदान दे सकें। पर यह चितांजनक है कि आबादी के मामले में दुनियां के दूसरे सबसे बड़े देश भारत के युवाओं को समुचित तकनीकी और गैर–तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में यहां की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं उम्मीदों की कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार द्वारा शुरु किया गया 'स्किल इंडिया' मिशन युवाओं को कार्य–कुशल बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण अभियान के तौर पर सामने आया है। इस कार्यक्रम से देश के युवा अधिकतम लाभ उठा सकें इसके लिए दृढ़ इच्छा–शक्ति की जरुरत है। विदित है कि दुनियां के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में भारत के एक भी संस्थान शामिल नहीं हैं। इससे तो यहीं ज्ञात होता है कि भारतीय समाज में अभी भी दृढ़ इच्छा–शक्ति का अभाव है। आवश्यकता इस कमी को दूर करने की है। इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास करना होगा।

इंडस्ट्री/बाजार से जुड़े युवाओं को सही मायने में स्किल्ड़ बनाने के लिए शिक्षा संस्थानों को इंडस्ट्री/बाजार के साथ पक्का गठजोड़ करना होगा। वहॉ के रोजमर्रा के कामकाज को समझते हुए पाठयक्रम में संबंधित व्यावहारिक बदलाव लाने होगें। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को रेगुलर विजिटिंग फैकल्टी में रखना होगा तथा अपने टीचर्स–फैकल्टी का नियमित रुप से इंडस्ट्री के साथ वार्तालाप कराना होगा। इससे छात्रों की बुनियादी जरुरतों को समझा जा सकेगा तथा छात्र भी इंडस्ट्री की कार्यपद्धति से परिचित हो सकेंगे।

अगर कोई कोर्स चार साल का है तो दो साल थ्योरी पढ़ाने के बाद तीसरे और चौथे साल में हर छात्र के लिए अपने ब्रांच के अनुरुप किसी कंपनी से जुड़कर नियमित उपस्थिति के साथ काम सीखना और आउटपुट में योगदान करना सुनिश्चित करना होगा और इस प्रकार छात्रों के अनुभव एवं उनकी अपेक्षाओं को पाठयक्रम की उपादेय बढ़ाने में शामिल किया जा सकेगा। इससे हर युवा महज किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर ऐसी कारगर प्रैक्टिकल नॉलेज

प्राप्त कर सकेंगे जो उन्हें उनके हुनर के मुताबिक उपयुक्त रोजगार दिलाने में मददगार साबित होगा।

छात्रों के लिए यह बेहद जरुरी है कि वे किसी भी कोर्स में दाखिला लेते समय इस बात का जरुर ध्यान रखें कि वह कॉलेज या संस्थान क्वालिटी एजुकेशन, ओवरऑल ग्रूमिंग के अलावा इंडस्ट्री के साथ नियमित इंटरैक्शन रखता है या नहीं। इससे उन्हें कोर्स के समापन के उपरान्त नौकरी तलाशने के लिए दर–दर नहीं भटकना होगा क्योंकि जिन शिक्षा संस्थानों ने खुद को इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के अनुरुप डाल लिया है और उसके अनुरुप व्यावहारिक गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, उन संस्थानों के युवाओं को पासआउट होने से पहले ही कैपंस प्लेसमेंट के जरिए कई–कई कंपनियों से आकर्षक नौकरियां मिल जाती हैं। छात्रों के कौशल विकास में इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन अपने सी.एस.आर. पहल के तहत कमजोर वर्ग के छात्रों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र एवं अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सदैव तैयार रहता है। आई.टी.वी.ओ. पूरी लग्नता और जोश के साथ कारपोरेट–सामाजिक उत्तरदायित्व के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए पूर्णतः समर्पित संस्था है। इस संस्था द्वारा नई दिल्ली में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के भागीदारों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान इस प्रशिक्षण का आयोजन आई.सी.आई–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया गया। इसके साथ–साथ इस संस्था द्वारा भारत सरकार की 'स्वच्छ भारत कोष' एवं स्वच्छ गंगा फंड के लिए एक–एक करोड़ रूपये का योगदान किया गया। इसके अतिरिक्त नेत्रहीन दिव्यांगों हेतु कोशल विकास प्रशिक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्गों, प्रताड़ित, अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण, निराश्रय, व्योवृद्ध एवं पूर्व सैनिकों के लिए कल्याण के पहलुओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर 2.07 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया गया। आई.टी.पी.ओ अपने सी.एस.आर. पहलों के अन्तर्गत विभिन्न समुदायों के कल्याण के लिए सक्रिय योगदान कर रहा है।

निष्कर्ष

आज सूचनाएं हमारी उंगलियों पर उपलब्ध हैं और एकाग्रता सबसे कम स्तर पर पहुंच रही है। लोग चाहते हैं कि लर्निंग आसान बनाई जाना चाहिए। शोध से पता चला है कि असली लर्निंग जिसमें नॉलेज और स्किल बढ़ाना शमिल है, कभी आसान नहीं हो सकती। इसलिए आवश्यक है कि संस्थान अपनी टीम की दिमागी क्षमता बढ़ाने में मदद के लिए उलझे

हुए टास्क दें ताकि लोगों को गलतियां करने और उससे सीखने का मौका मिले। जिन चीजों को लोग पहले से जानते हैं उन्हें भी नई नजर से देखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अगर टेस्ट हो तो मूल्यांकन के लिए नहीं, सीख देने के लिए होना चाहिए। इस तरह की लर्निंग एक्टिवटी कौशल विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता के आदान–प्रदान में अपनाई जा सकती है।

संदर्भ

1. बायती, जमना लाल (2008) सभी के लिये शिक्षा, एच.पी. भार्गव, आगरा।
2. श्रीवास्तव, अरुण : दैनिक जागरण, 9 जून 2015, नई दिल्ली।
3. अग्रवाल विपिन : पंजाब केसरी, 16 जून 2015, नई दिल्ली।
4. गुप्ता, मुकेश : अमर उजाला, 15 जून 2015, नई दिल्ली।
5. उद्योग व्यापार पत्रिका, सितम्बर 2016, नई दिल्ली।

''नीतिपरायणता से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वे जो नीतिपरायणता का पालन करते हैं सफल होते हैं। जो नीतिपरायणता की अवज्ञा करते हैं और निर्दयता से कार्य करने की इच्छा करते हैं, वे नीतिपरायणता से च्युत हो जाते हैं और नैतिकता और लाभ दोनों से वंचित हो जाते हैं।''

– महाभारत

सामाजिक नवरचना और सामाजिक समरसता

– मो. हामिद अंसारी

(जीवन के सभी क्षेत्रों एवं स्तरों पर आज नवोन्मेष की चर्चा हो रही है। व्यक्तिगत विकास हो अथवा वैश्विक विकास सभी के लिए नवोन्मेष की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पर समाज के एक बड़े स्तर पर नवोन्मेष क्या है, इसके लिए क्या प्रयत्न किए जाने चाहिए तथा सरकार की और से इस दिशा में क्या पहल की गई है, के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपराष्ट्रपति द्वारा हाल ही में प्रदत्त व्याख्यान इन सवालों का समूचित उत्तर प्रदान करता है।)

किसी विद्वान व्यक्ति ने एक बार घास के मैदान, पार्क और बगीचे के बीच अंतर किया और यह बताया कि एक घास के मैदान में घास की प्रचुरता होती है किन्तु उसका रुप अव्यवस्थित होता है, जबकि एक पार्क आम तौर पर व्यवस्थित होता है तथा बगीचा आंतरिक तौर पर और अधिक सुव्यवस्थित होता है और उसे उत्कृष्टरुप प्रदान करने का लक्ष्य होता है।

मैं उम्मीद करता हूं कि पूणे इंटरनेशनल सेंटर इन तीनों का मिश्रण है। यह सेंटर एक ऐसा स्थान है जहां विविधता बनाए रखने की संभावना मौजूद है और यहां तक कि यह असामान्यता के स्तर तक भी चली जाती है।

इस सेंटर की सामाजिक नवरचना के संबंध में तीसरे सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मुझे आज यहां आमंत्रित किए जाने पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आज हमारा विषय सामाजिक नवरचना है, जिसका आशय केवल नवोन्मेष से ही नहीं है जो आम तौर पर प्रौद्योगिकी में होता है और जिसके अर्न्तगत ध्यान विनिर्माण को अधिक दक्ष बनाने अथवा उपभोत्ताओं के लिए नये उत्पाद और सेवाएं विकसित करने पर केन्द्रित होता है। इससे अलग, हमारा दृष्टिकोण व्यापक है और वह विकास की श्रृंखला में अंतरों को पाटने की इच्छा से उत्पन्न होता है। इसे सर्वोत्तम ढंग से 'ऐसी सामाजिक चुनौतियों के नये समाधानों जिनका उदेश्य और प्रभाव समानता, न्याय और सशत्तीकरण स्थापित करना हो' के रुप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ,

– उसे नया होना चाहिए,
– उसे सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने वाला होना चाहिए,
– उसका उददेश्य समानता, न्याय और सशक्तीकरण करने का होना चाहिए, और
– अन्ततः उसका अंतिम परिणाम समानता, न्याय और सशक्तीकरण करने का होना चाहिए।

इस प्रकार, उसमें प्रौद्योगिकीय, संस्थागत, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक नवरचना के तत्व शामिल होने चाहिएं। यह ऐसे समय और भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि देश ने एक महत्वाकांक्षी पीढी की आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करने के लिए नवोन्मेषण के एक दशक को प्रतिबिम्बत किया है।

सामाजिक नवरचना और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कोई चर्चा इस समझ पर आधारित होती है कि वह एक ऐसे समाज में घतिट होता है जहां एक साझे उददेश्य के लिए लोग एकजुट हुए हैं जिसके परिणामस्वरुप ऐसे परिवर्तनों के घटित होने में कुछ मात्रा में सामाजिक मतैक्य और सामाजिक एकजुटता मौजुद होती है। परिणामस्वरुप, उसे अवश्य सामाजिक दृष्टि से उपयोगी होना चाहिए और निश्चित रुप से सामाजिक एकजुटता के लिए हानिकर और अवरोधकारी नहीं होना चाहिए।

अतः सामाजिक नवरचना को उस सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय, आर्थिक, राजनैतिक तथा आध्यात्मिक परिवेश से अलग नहीं किया जा सकता, जिससे वह संघटित होता है। इसे पृथकतावाद में जारी नहीं रखा जा सकता है।

अतः सामाजिक नवरचना किसी समाज में विद्यमान समरसता, स्थिरता तथा सुरक्षा के स्तरों से संबद्ध होता हैय और उसी तरीके से नवप्रवर्तन के संवर्धन हेतु मुल्यों, उदेश्यों तथा प्राथमिकताओं को सभी के कल्याणार्थ अनुकूल बनाया जाना अपेक्षित होता है तथा इस प्रयोजन हेतु संस्थाओं, नीतियों और कार्य प्रणालियों को उदेश्यपूर्ण ढंग से सुदढ़ और उसका संवर्धन किया जाना आवश्यक है।

समानता, निष्पक्षता, सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय, न्यायसंगत और लोकतांत्रिक समाजों के मौलिक मूल्य हैं। इन मूल्यों का संवर्धन तथा उनकी सुरक्षा सभी संस्थाओं को और सत्ताधारियों को एक ऐसा परिवेश, जिसमें संपोषित विकास के लिए आम जनता ही ध्यान का केन्द्र हो, सृजित के प्रयास को वैधता प्रदान करता है।

यद्यपि आर्थिक प्रगति, उत्तरजीविता और कल्याण के लिए अनिवार्य है, तथापि वह हमारे सामने विद्यमान सामाजिक चुनौतियों का न तो विकल्प है और न ही कोई रामबाण औषधि। हमारे समाज सहित प्रत्येक समाज के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी घटक एकरुपता के साथ कार्य करें।

उक्त सिद्धांत, जो सार्वभौमिक प्रकृति का है, को संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कुछ वर्ष पूर्व सारगर्भित ढंग से वयक्त किया था। उन्होंने कहा था कि हमें यह जानना चाहिए कि स्थिर समाज तीन स्तभों पर निर्मित होता है। सुरक्षा, विकास तथा मानवाधिकारों और विधि – शासन के प्रति विकास के बिना दीर्घकालिक सुरक्षा और सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। ''मानवाधिकारों तथा कानून के शासन के प्रति यथोचित सम्मान के बिना कोई भी समाज लम्बे समय तक सम्पन्न अथवा सुरक्षित नहीं रह सकता है।''

यहां यह धारणा क्रियाशील है कि मानवाधिकारों के प्रति सम्मान में अपरिहार्य रुप से विविधता के प्रति सहिष्णुता ही नहीं अपितु स्वीकृति शामिल है। समाज को चयनात्मक नहीं अपितु पूर्ण समावेशी बनाने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सहिस्णुता से स्वीकृति तक का यह सफर राजनैतिक संवाद का केवल एक 'मंत्र' बने रहने के बजाय वास्तविक दैनिक व्यवहार में परिलक्षित हो सके।

परिणामस्वरुप, और इस तथ्य के मद्देनजर कि अधिकतर समाज समरुपी नहीं होते हैं, ''यदि लोकतंत्र एक बहुलतावादी समाज में विभिन्न विशिष्टताओं के प्रति ग्रहणशीलता नहीं है, तो वह केवल एक बहुमत–पक्षीय लोकतंत्र बन कर रह जाता है जो अल्पसंख्यकों को सुविधाओं से वंचित रखता है।'' यही कारण है कि भारत के संविधान में अल्पसंख्याकों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ–साथ '' वैयत्तिक अधिकारों और सामूहिक अधिकारों में संतुलन'' लाने के लिए उपबंध मौजूद हैं। ये प्राथमिक टीका – टिप्पणियां अपनी नव–प्रेरणा–संपन्न प्रतिभा का प्रसार करने की मंशा रखने वाले समाज में अधिकाधिक सृजनात्मक गतिविधियों के लिए आवश्यक सामाजिक वातावरण की रुपरेखा तय करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि समानता, न्याय एवं सशत्तीकरण के संबंध में सामाजिक सामंजस्य बना रहे, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सामंजस्य की और विविधता एवं सहमति के प्रति असहिष्णुता की उभरती प्रवृति के प्रति आज चिंता करने के कारण मौजूद हैं।

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) में स्नातक उपाधि प्राप्त कर रहे छात्रों को संबोधित करते हुए इन्फोसिस के संस्थापक श्री एन.आर. नारायणमूर्ति ने एक समीचीन प्रश्न पूछा। उनके शब्दों में पिछले 60 वर्षो के दौरान भारत की ओर से क्यों दुनिया भर को प्रभावित करने वाला एक भी आविष्कार अथवा प्रौद्योगिकी सामने नहीं आई ? कुछ लोगों ने तर्क किया

है कि मूर्ति कुछ ज्यादा ही सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रित थें, किन्तु यह प्रश्न गंभीर आत्मनिरिक्षण किए जाने की आवश्यकता की और संकेत करता है।

भारत में नवरचना की लंबी परंपरा रही है और स्वतंत्रता से भारत में शक्तिदायी सामाजिक नवरचनाओं की एक श्रृंखला रही है। दूध पाउडर का निर्माण करने के लिए गाय के दूध के स्थान पर भैंस के दूध का उपयोग किए जाने की नव प्रेरणा से आनंद सहकारी डेरी मॉडल की नींव पड़ी जिससे भारत में श्वेत क्रांति का प्रारम्भ हुआ। स्कूलों में तैयार मध्याय भोजन की शुरुआत एक ऐसी प्रेरणा है जिसका समाज पर बहुस्तरीय प्रभाव पड़ा है। अरविंद आई केयर हॉस्पिटल एक जीती जागती मिसाल है। मदुरै में 1976 में 11 बिस्तरों के एक अस्पताल के रुप में इसकी स्थापना के द्वारा आज अरविंद के छह अस्पताल चल रहे हैं जिनमें हर वर्ष 300000 से अधिक नेत्र शल्य चिकित्साएं की जाती हैं। यह कार्यक्षमता अन – गहन योग्यताओं पर आधारित है, जिनके परिणामस्वरुप लागत कम हो जाती है और इससे दो–तिहाई अत्यंत गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज सम्भव हो पा रहा है। इसके बावजूद अरविंद की आय इतनी पर्याप्त है कि वह इसमें और विस्तार करने के लिए समर्थ हैं।

भारतीय नवरचना की अन्य अनेको कहानियां हैः कम कीमत वाला गुणवत्तायुक्त सस्ता श्रवण सहायक यंत्र, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्नीशन मोटरसाईकल इंजन, मिट्टी – कूल फ्रिज, पटना का सुपर – 30 शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के होनहार युवा–छात्राओं का चयन किया जाता है और उन्हें शीर्ष तकनीकी संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाता है एवं लोगों की बढ़ती आबादी की पसंद को पूरा करने के लिए इंटरनेट या मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वालों सैंकड़ों अन्य नवीन उत्पाद एवं सेवाएं हैं।

क्या ये नवरचना सामाजिक अथवा तकनीकी, मुख्यधारा की विषय वस्तु बना पाई हैं ? क्या इन्होंने इतनी गति एकत्र कर ली है कि वे भारत को नव–प्रेरणा संपन्न समाज बन सकें ? नवरचना के मामले में भारत की अंक – सूची में कैसी है ? इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है ?

आरती राव ने अपने 2012 के लेख 'व्हाट इज द मैटर विद इंडिया' में भारत को आगे की ओर कदम बढाने हेतु संघर्षशील सामाजिक नवोन्मेष का ऊर्जा–गृह कहते हुए इस बात पर अफसोस व्यक्त किया है कि अभिनव शुरुवात में बढ़ोतरी अथवा उसका सामाजिक परिवर्तन के स्तर में रुपांतरण व्यापक रुप से नहीं हो पाया है।

वास्तविक सचाई तो यह है कि हम अपने समकक्षों सहित कई अन्य देशें से काफी पीछे हैं।

वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2015 के अनुसार हम 141 देशों में से 81 वें स्थान पर हैं, अर्थात ब्राजील, रुस तथा चीन से भी नीचे हैं जो क्रमशः 70 वें, 60 वें, 48 वें तथा 29 वें स्थान पर हैं।

सूचकांक में तीन कमजोर क्षेत्रों की पहचान की गयी हैः लघु तथा मध्यम उद्यम (एसएमई), बौद्धिक संपदा अधिकार और उच्च शिक्षा। इस बात पर जोर देते हुए कि 'अर्थव्यवस्था उतनी ही नवोन्मेषी होती है, जितने इसके लघु तथा मध्यम उद्यम (एसएमई) होते हैं।' इसमें नवाचार – प्रेरित प्रोत्साहनपूर्ण शुरूआत और व्यवसाय तथा अवसंरचना विकास में सहजता को बढ़ावा देने के साथ–साथ लघु मध्यम उद्यमों में नवोन्मेष तथा अनुसंधान और विकास की संस्कृति को आत्मसात् करने हेतु वित्तीय और कर संबंधी दिशानिर्देशों को लागू करने का सुझाव दिया गया है।

हाल के लेख में 'निम्बले' नामक पुस्तक के लेखक बाबा प्रसाद ने कुछ कारणों की सूची बनाई कि भारत क्यों नवोदित उद्यमियों अथवा नवोन्मेषकों को वैसे पारिस्थितिकी तंत्र, संसाधन अथवा आधारिक ढ़ांचा उपलब्ध करवाने में असफल रहा जैसे सिलिकन वैली अपने संभावित उद्यमियों को उपलब्ध करवाती हैः

हमारी शैक्षणिक व्यवस्था लागूकर्ताओं को ही प्रशिक्षण देने में निहित है, न कि विचारकों में;

यहां जोखिम उठाने की ललक की अत्यधिक कमी है तथा भारतीय परिवारों और शैक्षणिक संस्थानों में 'सुरक्षित चलने' (पे सेफ) की प्रवृति मौजूद है;

यहां शुरूआती निधियम मुहैया कराने वाले परिवेश की कमी है; और

भारतीय न्याय प्रणाली की गति धीमी रहने और उसका दक्षतापूर्ण ढ़ग से कार्य नहीं कर पाना नवरचना हेतु बाधक है।

इस वर्ष 5 जुलाई को 'डिजिटल संवाद' में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ने उद्यम और नवोन्मेष को आसान बनाने हेतु 'पूर्ण समर्थन' देने का वादा किया ताकि भारत एक नवोन्मेष केंद्र के रूप में उभर सके और तेजी से बदल रही दुनिया के साथ कदम मिला सके। उन्होंने कहा ''विश्व पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहा है और हम इससे अनजान नहीं रह सकते। यदि हम नई खोज नही करेंगे, यदि हम अत्याधुनिक उत्पादों का निर्माण नहीं करेंगे तो गतिहीनता आ जाएगी।''

गलोबल इन्नोवेशन इंडेक्स रिर्पोट 2015 में भारत से संबंधित अध्याय में कुछ शक्तियों की पहचान की गई है जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार और उसकी तीव्र वृद्धि, शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केन्द्र होना, वैज्ञानिक प्रकाशनों में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी और प्रौद्योगिकीय अवसंरचना के क्षेत्रों में बड़ी उछाल जिनमें जनता के बहुत बड़े हिस्से तक की पहुंच भी शामिल है। रिर्पोट में यह सिफारिश की गई है कि;

(क) उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने के साथ–साथ विश्वविद्यालय–उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ाए जाने,
(ख) लघु एवं मध्यम उद्यमों में नवरचना को प्रोत्साहित करने,
(ग) उघम संबंधी पारिस्थितिकी के विकास को प्रोत्साहित करने,
(घ) व्यापार को सुगम बनाने की स्थिति में सुधार करने,
(च) भौतिक अवसंरचना का विकास करने और
(छ) बौद्धिक सम्पदा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

भारत के राष्ट्रपति ने 2010 के वर्ष को गरीबी संबंधी मुद्दों के समाधान पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने वाले नवरचना के दशक का प्रारंभिक वर्ष घोषित किया था। मानव, वित्तीय, सामाजिक और बौद्धिक पूंजी में सहायता के माध्यम से नवरचना के समर्थन में सरकारी गतिविधि संचालित करने हेतु आगामी दशक के दौरान 'राष्ट्रीय नवरचना की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय नवरचना परिषद् का गठन किया गया था।'

इसके साथ ही, राष्ट्रीय नवरचना प्रतिष्ठान–भारत का गठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय के रूप में किया गया था। प्रतिष्ठान द्वारा विद्यालयी स्तर पर डा.ए.पी. अब्दुल कलाम 'इग्नाइट' प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नवरचना कार्य को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है। हमारे विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए परिणाम मामूली हैं।

नीति आयोग द्वारा गठित नए अटल नवरचना मिशन (ए आई एम) जो राष्ट्रीय नवरचना परिषद् की परवर्ती मशीन तंत्र है, की रूपरेखा निर्धारण हेतु डा. तरूण खन्ना के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक समिति की हाल ही में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि ''नवरचना कभी भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितना यह आज है, क्योंकि वैश्विक, औद्योगिक अर्थव्यवस्था से हटकर नवरचना अर्थव्यवस्था की ओर जा रही है। उत्साहवर्द्धक बात यह है कि नूतन अर्थशास्त्रीय सिद्धांत इस ओर संकेत करता है कि शोघ एवं विकास सरकारी निवेश ज्ञान के सृजन और प्रौद्योगिकीय विकास की नवरचना, उत्पादकता, पूंजी निर्माण और इस तरह से विकास को तेज करने में निश्चित रूप से भूमिका होती है।''

प्रतिवेदन में तीन स्तरों पर काम करने वाले एक नवान्वेषण मिशन की स्थापना और उसे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने की सिफारिश की गई है। समिति ने तात्कालिक मुद्दों के समाधान के लिए अल्पकालिक प्रोत्साहन आधारित दृष्टिकोण अपनाने; शिक्षा, कौशल संबंधी पहलों, आधारभूत संरचना और व्यावसायिक माहौल के असंतुलन को ठीक करने के लिए मध्यवर्ती दृष्टिकोण अपनाने; और नवोन्वेषण तथा उद्यमिता को संरक्षण देने हेतु आवश्यक ''संस्कृत और प्रवृति'' विकसित करने हेतु दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव किया हैं।

इस संदर्भ में, इसी वर्ष 7 मार्च को एक नवोन्वेषण संबंधी पुरस्कार समारोह में, भारत के राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा, वह उल्लेखनीय हैः

''नवोन्वेषण'' के इस दशक (2010 – 20) के मध्य में, हमें संभवतः अपने बुनियादी नवोन्वेषकों और विद्यार्थियों की सर्जनात्मकता का उपयोग करने की दिशा में अपने नजरिए का मूल्यांकन तथा आवश्यकता होने पर पर उसका पुनर्निधारण करना चाहिए। बुनियादी नवोन्वेषणों के पैमाने को बढ़ाने के लिए हमारे समाज में मौजूद अमूल्य ज्ञान भंडार और औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बीच एक सष्दृढ़ संयोजन कायम करने की आवश्यकता है। सबके कल्याण के लिए हमारी नवोन्वेषण क्षमता का प्रयोग करने हेतु नोडल सरकारी एजेंसियों को एक सक्षम भूमिका निभानी चाहिए।''

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आई. आई. टी. दिल्ली में हाल में हुई एक वार्ता में कुछ तरीकों का उल्लेख किया जिनके जरिए कोई राष्ट्र 'नए विचारों का सर्जन' जारी रख सकता है। उन्होंने कहा कि पहली आवश्यकता ''समस्त सत्ताओं और परंपरा को चुनौती देने को प्रोत्साहन देकर बाजार में विचारों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की है, साथ ही यह भी माना जाए कि किसी भी विचार को खारिज केवल व्यावहारिक परीक्षणों के आधार पर ही किया जा सकता हैं।'' किसी खास प्रकार की विचारधारा को थोपा जाना संभव न हो और सभी विचार समालोचनात्मक परीक्षण के बाद ही स्वीकार किए जाएं। दूसरी आवश्यकता है, मात्र विशिष्ट विचारों और परंपराओं का ही नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने और चुनौती देने के अधिकार का संरक्षण, औरों से अलग आचरण करने की स्वतंत्रता का संरक्षण जब तक कि ऐसे आचरण से दूसरों को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचे। इस संरक्षण में समाज का ही हित निहित है, क्योंकि नवोन्वेषी विद्रोहियों की चुनौतियों को प्रोत्साहन देने से ही समाज का विकास होता है।''

उपर्युक्त हर बात के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इसके अनुकूल सामजिक माहौल तैयार करना आवश्यक है।

समझौता

—रंजना जायसवाल

उस दिन सुबह से ही विधायक रामरतन चौधरी के घर के सामने वाली सड़क पर हंगामा मचा हुआ था। विधायक की मृत्यु हुए अभी बमुश्किल एक सप्ताह हुआ था। सड़क पर कालोनी के लोग जमा थे। चिक–चिक हो रही थी। विधायक की तथाकथित पत्नी मालती देवी अपने बच्चों के साथ सड़क के एक किनारे खड़ी रो रही थी। मकान के दरवाजे पर अपनी कमर पर हाथ धरे विधायक के छोटे भाई डाक्टर कामता प्रसाद खड़े थे। पता चला उन्होंने ही मालती देवी को घर से निकाला है। उनके अनुसार मालती देवी उनके भाई की जायज पत्नी नहीं है, इसलिए उनका या उनके बच्चों का घर और जायदाद पर कोई हक नहीं बनता। जब तक रामरतन जिंदा थे, उनकी दबंगई के आगे कामता प्रसाद थर–थर कांपते थे, पर ज्यों ही उनकी मृत्यु हुई वे शेर हो गए। उन्होंने भाई की संपति पर अपना दावा पेश किया और अब मालती देवी को उनके बच्चों के साथ घर से निकाल रहे थे। सभी लोग जानते थे कि बच्चे कामता प्रसाद जी के ही हैं। लगभग पंद्रह सालों से मालती देवी उनके साथ थी। वे सुंदर, सभ्य, शालीन, सुसंस्कृत और भली महिला थी। यू ंतो वो बाहर कम ही निकलती थी, पर इधर कुछ वर्षों से वे निकलने लगी थी। फिर भी सिर उघाड़े उन्हें किसी ने नहीं देखा था।

यद्यपि उनके अतीत के बारे में तमाम कहानियां प्रचलित थी पर वर्तमान का सत्य यही था कि वे रामरतन जी की पतिव्रता पत्नी थी। रामरतन जी की पहली पत्नी मर चुकी थी और वे अरसे से एकाकी जीवन में थे। पुश्तैनी बड़ा मकान था, जिसके आधे हिस्से में उनके भाई कामता प्रसाद सपरिवार रहते थे। दोनों भाईयों में नहीं बनती थी, इसलिए मकान दो हिस्सों में बांट दिया गया था। दोनों के प्रवेश–द्वार अलग थे। उनके घरों की तरह उनके दिलों में भी बड़ी सी विभाजक रेखा थी। यह रेखा तब और प्रगाढ़ हो गई थी जब विधायक जी मालती देवी को घर ले आए थे और घर में ही धूम–धाम से आर्य समाजी रीति से उनसे विवाह कर लिया था। बड़ी सी दावत दी गई थी। शहर और बाहर के भी नामी–गिरामी लोग इस भोज में सम्मालित हुए थे और उनके विवाह को सामाजिक मान्यता दी थी।

अब एकाएक विधायक की मृत्यु के बाद मालती देवी गैरकानूनी पत्नी हो गई थी और कालोनी के ज्यादातर लोग कामता प्रसाद के पक्ष में खड़े हो गए थे। जो लोग इसे गलत मान रहे थे, वे भी चुप थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे कामता प्रसाद का विरोध करें। कामता प्रसाद पेशे से डाक्टर थे और सभी को उनसे काम पड़ता था।

आस–पास के घरों की खिड़कियां खुली हुई थी, जिनसे स्त्रियां बाहर झांक रही थी। उन्हें बाहर निकलकर हस्तक्षेप करने की पति व परिवार से इजाजत नहीं थी। उनमे से कुछ स्त्रियां, जो मालती देवी के सौंदर्य, सुगढ़ता व ख्याति से जली–भुनी रहती थीं, प्रसन्न थी। पर कुछ स्त्रियां दुखी थी। उन्हें कामता प्रसाद का यह कदम मानवता के विरूद्ध लग रहा था। बेचारी पांच बच्चों को लेकर कहां जाएगी? उसके मायके के बारे में भी जानकारी नहीं थी कि कैसा है? कहां है? पता नहीं कोई है भी या नहीं।

शाम ढ़लने को आ गई। भूख–प्यास से बच्चे बिलबिला रहे थे। मालती देवी वही सड़क किनारे धूल–मिट्टी में बैठ गई थी। कामता प्रसाद ने दरवाजे पर ही कुर्सी लगा ली थी। कालोनी के कुछ लोग जा चुके थे, कुछ जा ही रहे थे कि अचानक वहां एक चमचमाती बड़ी सी गाड़ी आकर रूकी। गाड़ी से एक लंबा–चौड़ा लगभग पचास–पचपन वर्ष का सुदर्शन पुरूष उतरा। मालती देवी उसे देखते ही बिलख–बिलखकर रोने लगी। बच्चे भी आकर उससे लिपट गए। पुरूष ने आग्नेय दृष्टि से भीड़ और कुर्सी पर जमे बैठे कामता प्रसाद को देखा और बच्चों के साथ घर की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर में ही भीड़ ने अवाक देखा कि कामता प्रसाद दरवाजा छोड़कर एक तरफ खड़े हो गए हैं और मालती देवी बच्चों के साथ अपने घर में प्रवेश कर गई हैं। शायद मर्दों की इस दुनियां में मर्दों से सताई स्त्री का एक मर्द ही उद्धार करता हो। स्त्रियां तो अपने दरबों से बाहर नहीं आ पातीं। अगर कालोनी की स्त्रियों ने एकजुट होकर कामता प्रसाद का विरोध किया होता तो शायद इस दूसरे मर्द का प्रवेश मालती देवी के जीवन में नहीं हुआ होता।

मलती देवी के घर में प्रवेश करते ही पुरूष कामता प्रसाद से मुखातिब हुआ, ''ये क्या लगा रखा है? ये मत समझना कि उनका कोई नहीं है। मै ज्वाला सिंह, रामरतन का अभिन्न मित्र अभी जिंदा हूं। मेरे जीते जी तुम उनसे उनका हक नहीं छीन सकोगें।'' यह कहते हुए उन्होंने अपनी कमर में बंधे लाइसेंसी रिवाल्वर पर हाथ फेरा। कामता प्रसाद के होश तो उन्हें देखते ही उड़ गए थे। वे बिना कुछ बोले अपने घर की तरफ सरक गए। ज्वाला सिंह बड़े नेता थे और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। पुलिस–थाने को अपनी जेब में रखकर चलते थे। रामरतन के जिंदा रहते वे कई बार इस घर में आए थे और हर बार मालती देवी के सौंदर्य और सुरूचिपूर्ण रहन–सहन से प्रभावित होकर लौटे थे। उनके मन में कहीं न कहीं मालती देवी के लिए कोमल भावना थी, जिसको कोई नाम देने से वे सदा हिचकते रहे परंतु अब रामरतन के जाने के बाद उनकी भावनाएं उछाल पर थी।

समय बीतने लगा। ज्वाला सिंह के संरक्षण में मालती देवी अपने बच्चों को पालने लगीं। कामता प्रसाद अब उनसे नहीं उलझते थे, पर पीठ पीछे ज्वाला सिंह से उनके नाजायज रिश्ते की अफवाह फैला रहे थे। एक कायर पुरूष इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकता।

अपनी हार को जीत में बदलने का इससे बेहतर उपाय उन्हें नहीं सूझता था। मालती देवी के कानों तक जब ये खबर आई तो उन्हें बहुत दुख हुआ पर वे क्या कर सकती थीं। वे सुदंर थी, युवा थी और अब ज्वाला सिंह उनके घर नियमित आते थे। वे जानती थी कि समाज स्त्री–पुरूष के बीच मित्रता की वजह सिर्फ 'यौन' ही मानने का आदी है। कभी–कभी उनका मन होता कि ज्वाला सिंह से कहें कि उनके घर कम आएं, पर यह कहते उन्हें डर लगता था। वे जानती थी कि उनका साया हटते ही उनके शत्रु सक्रिय हो जाएगें। तीनों बेटियां तेजी से बढ़ती हुई किशोर हो गई थीं। दोनों बेटे अभी छोटे थे। सभी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। उनकी जरूरतें बढ़ रही थी, जिन्हें ज्वाला सिंह के सहयोग के बिना वे पूरा नहीं कर सकती थीं। पति की पेंशन व मकान के किराए के अलावा थोड़ी सी खेती थी, जिसे उन्होंने बंटाई पर दे रखी थी। अर्थ से अधिक उन्हें एक पुरूष के संरक्षण की जरूरत थी। वे अधिक पढ़ी–लिखी भी नहीं थी कि नौकरी कर सकें फिर बच्चों को छोड़कर उनका कही काम करना भी मुश्किल था।

मालती देवी ने जीवन की विडंबना को स्वीकार कर लिया था। बदनामी को उन्होंने नियति मान लिया था। उन्हें बस इस बात का संतोष था कि वे गलत नहीं है। वे चाहती थी कि किसी तरह बच्चे पढ–लिखकर आत्मनिर्भर हो जाएं। उनकी शादी कर दें फिर किसी आश्रम में चली जाएंगी। ज्वाला सिंह उनके लिए देवता समान थे पर वे भूल गई थी कि कोई भी मर्द बिना किसी स्वार्थ के किसी स्त्री की मदद नहीं करता। एक दिन जब ज्वाला सिंह ने उन्हें खींच लिया तो उन्हें झटका लगा। उन्होंने विरोध किया तो ज्वाला सिंह ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि वे कांप उठीं। उन्हें बच्चों सहित फिर से सड़क पर ला देने की बात वह शख्स कर रहा था, जो उनके पति का अभिन्न मित्र था। जिसे आज तक वे देवता समझ रही थीं पर शायद मर्द कभी देवता नहीं बन पाता, वह भी तब जब कोई सुंदर, युवा व मजबूर स्त्री उसे एकाकी मिल जाए। मालती देवी को समझौता करना ही पड़ा। अपनी किशोर बेटियों की इज्जत और बेटों के स्वर्णिम भविष्य के लिए खुद को कुर्बान करना ही उन्हें ठीक लगा। उन्हें अपना अतीत याद था। माता–पिता की मृत्यु के बाद वे कितनी अकेली हो गई थीं। एक चचेरा भाई था, जिसने सहारा देने की जगह उनका शोषण करना शुरू कर दिया। वह उन्हें अमीरों के घर भेजता था। विरोध करने पर मारता–पीटता और भूखा रखता था। रामरतन चौधरी के पास भी वह भेजी गई थी। रामरतन जी को वे कुछ उदास लगी तो उन्होंने कारण पूछा तो वे बिलख–बिलखकर रोने लगी। सारी कहानी सुनकर रामरतन जी द्रवित हो गए और उन्हें हमेशा के लिए अपना लिया। मालती देवी के अतीत की भनक कामता प्रसाद को थी इसलिए उन्होंने मालती देवी को कभी भाभी के रूप में स्वीकार नहीं किया।

मालती ने सोचा कि उनकी किस्मत भी कैसी है? एक दलदल से निकलकर वे स्वर्ग में आई थी। पर दुर्भाग्य, स्वर्ग का देवता ही चला गया। अब स्वर्ग में देवता ही जगह एक मानव

आ गया है जो उनकी देह को चाहता है। उससे खुद को बचाती है तो बच्चे हमेशा के लिए नर्क में गिर जाएंगे। नहीं वे खुद को गिरा देंगी पर बच्चों पर आंच नहीं आने देंगी। एक बच्चा होता तो वे मेहनत–मजदूरी भी कर लेतीं, पर पांच–पांच बच्चे! काश वे काम लायक पढ़ी–लिखी होतीं। पर मां–बाप बचपन में ही गुजर जाने के कारण उनकी पढ़ाई अधूरी छूट गई थी। आज उन्हें लग रहा था कि किसी स्त्री का पढ़ना–लिखना, आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। वे अपनी बेटियों को खूब पढाएंगी और आत्मनिर्भर होने के बाद ही उनकी शादी करेंगी ताकि उन्हें जीवन में कभी उनकी तरह मजबूर होकर समझौता न करना पड़े।

''विश्वविद्यालय ऐसा संगम स्थल है जहां हर वर्ग के विद्यार्थी हर प्रकार का ज्ञान अर्जित करने के लिए आते हैं । यह ऐसा स्थान है जहां विचार से विचार एवं ज्ञान की दुरभिसंधि द्वारा जिज्ञासा को प्रोत्साहन दिया जाता है और खोजों को सत्यापित कर उन्हें पूर्णता प्रदान की जाती है तथा अविवेक को अनपकारी किया जाता है और त्रुटि को उजागार किया जाता है । यह ऐसा स्थान है जो अपने यश के फलस्वरूप युवकों से प्रशंसा प्राप्त करता हैं, अपने सौंदर्य के कारण मध्य आयु वर्ग के लोगों के स्नेह को प्रज्वलित करता है और अपने संघों के माध्यम से वृद्ध जनों की निष्ठा को पुख्ता करता है। यह बुद्धिमता का केंद्र, विश्व की ज्योति प्रज्जवलित करता है और उदीयमान पीढ़ी की मातृ संस्था है।'

– हेरनी न्यूमैन

प्रौढ़ शिक्षा का महत्व

— बद्री प्रसाद वर्मा अनजान

गांव गांव
शहर शहर
अब प्रौढ़ शिक्षा का
स्कूल है चलने लगा।
हर प्रौढ़ नर नारी
आ कर
यहां पढ़ने लगा।
सबमें हमें
जी जान से
शिक्षा की ज्योति
जलानी है।
अपने गांव शहर को
हमें पूर्ण साक्षर बनाना है।
चलो, मन लगा कर
प्रौढ़ शिक्षा स्कूल में
पढ़ने के लिए चलें।
हाथ में कापी किताब पेन
साथ लेकर चलें।
प्रौढ़ शिक्षा को
हम अपनाएं।
साठ साल का समय बहुत होता है
चलो अब तो
साक्षर और हुनरमंद हम बन जाएं।

हमारे लेखक

अमित कुमार वर्मा
जी 37 ए, शकरपुर
दिल्ली – 110 092

कृष्ण कुमार आहूजा
पुस्तकालयाध्यक्ष
राव लाल सिंह शिक्षा महाविद्यालय
सिधरावली (गुड़गांव)
हरियाणा

विकास मोदी
प्रवक्ता (शिक्षा)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविधालय,कालाडेरा
5/B/119, कुड़ी भगतासनी, हा.बोर्ड
बासनी, जोधपुर.342005

बद्री प्रसाद वर्मा अनजान
अध्यक्ष–स्व मीनू रेडियो श्रोता क्लब
मल्लामंडी, गोला बाजार
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश – 273 406

प्रौढ़ शिक्षा के लिए लेख आमंत्रित हैं

त्रैमासिक पत्रिका 'प्रौढ़ शिक्षा' (ISSN 2231-2439) प्रौढ़ एवं आजीवन शिक्षा क्षेत्र की एक प्रतिनिधि पत्रिका है जिसका प्रकाशन भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। विगत 60 वर्षों से यह पत्रिका नियमितरूप से प्रकाशित हो रही है।

स्वतंत्र लेखकों, पत्रकारों, प्राध्यापकों, शोध छात्रों एवं प्रौढ़ एवं आजीवन शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों तथा अन्य सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह है कि वे इस पत्रिका हेतु शिक्षा, प्रौढ़ एवं आजीवन शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, स्वयंसेवी प्रयास, महिला सशक्तीकरण, विकास, कौशल विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, बाल विकास, सामाजिक समता, आर्थिक सशक्तीकरण जैसे तमाम विषयों पर अपने मौलिक लेख, शोध पत्र, संस्मरण, घटना वृतांत, कहानियां एवं कविताएं प्रेषित करें। लेख एवं शोध पत्र न्यूनतम 3000 से 5000 शब्दों के हो सकते हैं। लेखक अपनी रचनाएं हिन्दी के कृतिदेव 10 फोंट में टाईप कर उसकी ओपन फाईल directoriaea@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।

वर्ष 60 अंक 4

ISSN 2231-2439

अक्टूबर–दिसम्बर 2016

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत
का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम धर्मो के जन्म–स्थान के रुप में मैं भारत से प्यार करती हूं, ऐसे देश के रुप में, जहां विशालतम पर्वत हिमालय स्थित है, ऐसे स्थान के रुप में, जहां सबसे उदात्त पर्वत स्थित हैं। ऐसा देश, जहां सादगीपूर्ण घर हैं, जहां घरेलू सुख–शांति सबसे अधिक उपस्थित है, जहां स्त्री निःस्वार्थ भाव से, विनम्रता से, बिना हिचकिचाहट के भोर से लेकर रात तक अपने प्रियजनों की सेवा करती है, जहां मां और दादी अपने बच्चों की सुख–सुविधा का ध्यान रखती हैं, पूर्वानुमान करती हैं और उसमें अपना योगदान देती हैं। इन सब दायित्वों में उन्हें अपनी खुशी की परवाह नहीं होती और इस निःस्वार्थता में वह स्त्रीत्व को सर्वोच्चता की ओर ले जाती हैं।

– ***भगिनी निवेदिता***

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संध के लिए डा. मदन सिंह द्वारा 17–बी आई पी एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा प्रभात पब्लिसिटी 2622 कूचा चालान, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित ।
सम्पादकः डा. मदन सिंह

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरंतर तथा आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों में समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा तथा आजीवन अधिगम विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का सतत् प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के विविध क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने प्रौढ़ शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य हेतु 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी और अंग्रेजी में शोघ कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की संदर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध संदर्भ–पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन अधिगम संबंधी पत्र–पत्रिकांए, सूचना एवं सदर्भ सामग्री भी संघ के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान (इंटरनेशलन इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना वर्ष 2002 में हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन अधिगम विषय पर पुस्तकें तथा पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और उसमें रुचि रखने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए है। संघ 'इंटरनेशलन फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं एशियन साउथ पैसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इंटरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन तथा 'इंटरनेशनल रीडिंग ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है, जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002
दूरभाषः 011–23379282, 23378436, 23379306
फैक्सः 011–23378206, ई–मेलः directoriaea@gmail.com
Website: www.iaea-india.org; www.iiale.org

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

संरक्षक
प्रो. भवानीशंकर गर्ग

अध्यक्ष
श्री कैलाश चौधरी

उपाध्यक्ष
डा. एम.एस. राणावत
श्रीमती राजश्री बिस्वास
प्रो. एस. वाई. शाह
सुश्री निशात फारूख
डा. वी. रेघु

महासचिव
डा. मदन सिंह

कोषाध्यक्ष
डा. पी. ए. रेड्डी

संयुक्त सचिव
श्री एस. सी. खण्डेलवाल

सह–सचिव
श्री ए. एच. खान
डा. एल. राजा
डा. सरोज गर्ग
श्री मृणाल पन्त

सदस्य
श्री एच.सी. पारेख
डा. ओ.पी.एम. त्रिपाठी
डा. उषा राय
डा. डी. के. वर्मा
श्री दुर्लभ चेतिया
डा. डी. उमा देवी
श्री हरीश कुमार एस.
श्री दिलीप मुखोपाध्याय
प्रो. असोक भटट्‌ाचार्य
श्रीमती कल्पना कौशिक
श्रीमती सुरेखा डी खोत
श्री राजेन्द्र जोशी
डा. निर्मला नुवाल